रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1970 (आषाढ़ 13, 1892)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1970 (ASADHA 13, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

Division IOR
1089
5-11-71
Checked
Date of Transfer

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 1 जून 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 1st June 1970 :—

अंक No.) (1)	संख्या और तिथि (No. and Date) (2)	द्वारा जारी किया गया (Issued by) (3)	विषय (Subject) (4)
89.	No. F. BPE/(I;R)/29)/69, dated 22nd May, 1970.	Ministry of Finance.	Modification of the Resolution No. BPE (I & R)/29/69, dated 26th December, 1969.
	सं० एफ० बी० पी० ई० आई० एण्ड आर० 29/69, दिनांक 22 मई 1970	वित्त मंत्रालय	26 दिसम्बर, 1969 के संकल्प सं० बी० पी० ई० (आई० एण्ड आर०) 29/69 का संशोधन।
90.	No. SC (I)-4(9)/70, dated 22nd May, 1970.	Ministry of Steel and Heavy Engineering.	System of Planning and Distribution of Iron & Steel.
91.	No. F3/3/70-Pub. II, dated 3rd May, 1970.	Ministry of Home Affairs	Death of Shri. P. Govinda Menon, Minister of Law & Social Welfare.
	सं० 3/3/70-पब्लिक (2) दिनांक 23 मई 1970	गृह मंत्रालय	श्री पी० गोविन्द मेनन, विधि एवं समाज कल्याण मंत्री का निधन।
92.	No. 3/3/70-PubII, dt. 24, May 1970	Ministry of Home Affairs	Life sketch of shri Panampilli Govinda Menon
	सं० 3/3/70-पब्लिक (2) दिनांक 24 मई 1970	गृह मंत्रालय	श्री पनम्पिल्ली गोविन्द मेनन की जीवन गाथा।

(1)	(2)	(3)	(4)
93.	No. 75-ITC (PN)/70, dated 25th May, 1970.	Ministry of Foreign trade.	Terms and conditions for licensing of imports un West German DM-99 Million Commodity Cre for 1969-70.
94.	No. 37/1//X/70/T, dated 25th May, 1970.	Lok Sabha. Secretariat	Proroguing the Lok Sabha.
	सं० 37/1/दस/70/टी० दिनांक 25 मई 1970	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा का सत्रावसान करना ।
95.	No. 37/1/XI/70/T, dated 26th May, 1970.	Lok Sabha Secretariat	Summoning the Lok Sabha.
	सं० 37/1/ग्यारह/70/टी०, दिनांक 26 मई 1970	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा को अधिवेशन के लिए आमंत्रित करना ।
96.	No. 5(17)/70-A.E. Ind (I), dated 28th May, 1970.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Appointing a Commission for the purpose of recommending fair selling prices for the three passenger cars, namely Ambassador, Fiat & Standard.
	सं० 5(17)/70-ए० ई० आई०/(I) दिनांक 28 मई 1970	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय	तीनों यात्री कारों अर्थात्, एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टेंडर्ड के लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए एक आयोग की नियुक्ति ।
97.	No. R. S. 1/2/70-L, dated 29th May, 1970.	Rajya Sabha.	Proroguing the Rajya Sabha.
	सं० आर० एस० 1/2/70-एल०, दिनांक 29 मई 1970	राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा का सत्रावसान ।
98.	No. R.S. 1/3/70-L, dated 1st June, 1970.	Rajya Sabha	Summoning the Rajya Sabha,
	सं० आर० एस० 1/3/70-एल०, दिनांक 1 जून 1970	राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा को आमंत्रित करना ।
99.	No. 79-ITC (PN)/70, dated 1st June 1970.	Ministry of Foreign Trade.	Import of "Dates" (S. No. 21 (b)/IV) from Sau Arabia, Muscat and other Persian Gulf Po excluding Iran and Iraq, during October, 19 Sept. 1970 on annual basis.
	सं० 79-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 1 जून 1970	विदेशी व्यापार मंत्रालय	खजूरों (क्र० सं० 21) बी० (IV) आयात—अक्तूबर 1969—सितम्बर, 1970 की अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर सऊदी अरब मस्कत तथा ईरान, व ईराक को छोड़कर अन्य पराधीन गल्फ बन्दरगाह ।
	No. 80-ITC (PN)/70, dated 1st June, 1970.	Ministry of Foreign Trade.	Import of Dates (S. No. 21 (b)/IVfrom Iraq during September, 1969–August, 1970 licensing period on annual basis– Extension in the validity period.
	सं० 80-आई० टी० सी० (पी० एन०) 70, दिनांक 1 जून 1970।	विदेशी व्यापार मंत्रालय	सितम्बर, 1969—अगस्त, 1970, की लाईसेंसिंग अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर ईराक से खजूरों (क्र० सं 21 (बी०)/IV का आयात—मान्यता की अवधि में बढ़ोत्तरी ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	557
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	769
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सन्बन्धित अधिसूचनाएं	57
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	815
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2293
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	557
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	769
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	57
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	815
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2293

	पृष्ठ
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2897
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	439
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	725
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	253
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	101
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	445
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	111
पूरक संख्या 27—	
27 जून 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1109
7 जून 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1119
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2897
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	439
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	725
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	253
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	101
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	445
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	111
SUPPLEMENT No. 27	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 27th June 1970	1109
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 7th June 1970	1119

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
नियम

नई दिल्ली 1, दिनांक 4 जुलाई 1970

स० 32/11/70-स्थापना (ड०)—निम्नलिखित सेवाओं में ग्रेड-4 की रिक्तियों को भरने के लिए जनवरी, 1971 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रशाशित किए जा रहे हैं :—

(1) भारतीय आर्थिक सेवा, और

(2) भारतीय सांख्यिकीय सेवा

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा निकाली गई सूचना में किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों से किसी एक से है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 के साथ पठित अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967। संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में विहित रीति से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका, और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य की टैंजानिया (भूतपूर्व टैंजानिया और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

लेकिन नीचे लिखे उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :—

(1) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले, पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और तब से आम तौर से भारत में ही रह रहे हों।

(2) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(3) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख, अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवा काल का क्रम नहीं टूटा है।

लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसे 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा में दुबारा नियुक्त किया गया हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता प्रमाण-पत्र देना होगा।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हों और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

5(क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1971 को 21 वर्ष की पूरी हो गई हो किन्तु 26 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1945 से पहले और 1 जनवरी, 1950 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष

(2) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

(3) यदि उम्मीदवार अनसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष;

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष;

(7) यदि उम्मीदवार गोवा, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

(8) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टैंजानिया (भूतपूर्व टैंजानिया तथा जंजीबार) से आया मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

(9) यदि उम्मीदवार 1 जून 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष;

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से, प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष;

(11) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं में किसी बाह्य देश के साथ संघर्ष में या विक्षुब्ध क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई के समय विकलांग होकर निर्मुक्त हुआ सैनिक हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष; और

(12) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं में किसी बाह्य देश के साथ संघर्ष में या विक्षुब्ध क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई के समय विकलांग होकर निर्मुक्त हुआ सैनिक हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी में छूट नहीं दी जाएगी।

6. (क) भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की अर्थ-शास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित उपाधि होनी चाहिए।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की सांख्यिकीय गणित या अर्थ-शास्त्र विषय सहित उपाधि होनी चाहिए, अथवा उसके पास परिशिष्ट 1-क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

टिप्पणी (1) यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है पर अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह उस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो अभ्यार्थी इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एकजामीनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए, ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक 2 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी (2) विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि इस अभ्यार्थी के अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

टिप्पणी (3) यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट 1 में निर्धारित शुल्क अवश्य देना होगा।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी रूप में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य लेनी होगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाणपत्र (सार्टिफिकेट ऑफ एडमिशन) नहीं होगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

12. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति के परीक्षा दिलवाने अथवा, जाली फेर-बदल किए हुए प्रमाण

पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्ठा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कारवाई की जा सकती है :—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा वरित किया जाना :—

(1) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, और

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत नौकरियों के लिए।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा।

14. परीक्षा के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यताक्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनकी इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी। वह भर्ती आरक्षित रूप से न होकर उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उसकी सेवा में यथास्थिति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, उसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

16. यदि कोई उम्मीदवार दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हो, तो उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन पत्र देते समय व्यक्त अधिमान-क्रम (प्रेफरेन्स) के अनुसार उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की आएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया कोई भी उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा की जांच करवाने के लिए अपेक्षित होगा।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पत्र आवेदन भेजने से पहले सिविल-सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा ले ..... नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिये, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं में विक्लांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्यस्तर में सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार छूट दी जाएगी।

19. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण अवैध (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए एक प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर, नियुक्तियां की जाती हैं; तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार सन्तुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को छूट न दी जाए।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह, इस कारण अवैध (वायड) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नि हो, वह उन सेवाओं में नियुक्ति की, जिनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार सन्तुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, और उस महिला उम्मीदवार को उस नियम से छूट न दी जाए।

20. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

एम० आर० भारद्वाज, अवर सचिव

परिशिष्ट-1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 6 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से नियमित किया गया हो अथवा अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम से स्थापित किया गया हो। अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिए जाने की घोषणा की जा चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय

मांडले विश्वविद्यालय

इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बमधम, विस्टल, कैम्ब्रिज, उह्मो, लीड्स, उह्मे लिवरपूल, लन्दन, मंचैस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय ।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एवरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय ।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)/नेशनल यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट ।

पाकिस्तान विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट-1 (क)

केवल भारतीय सांख्यिकीय सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताओं की सूची (नियम 6 (ब) के अनुसार

(1) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता का संख्याविद—डिप्लोमा (स्टेटिस्टीशियन डिप्लोमा) और

(2) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसन्धान सांख्यिकीय संस्था का व्यवसायिक संख्याविद प्रमाण-पत्र (प्रोफेशनल स्टेटिस्टीशियन सर्टिफिकेट)

परिशिष्ट-2

खण्ड-1

लिखित परिक्षा की रुपरेखा

भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा की परीक्षा के विषय :—

(क) लिखित परीक्षा :—

(1) निम्नलिखित खण्ड-2 के उप-खण्ड क्रमश: (क) (ख) और (ख) (अ) में दिए गए अनिवार्य विषय जिनके अधिकतम अंक 700 होंगे ।

(2) निम्नलिखित खण्ड-2 के उप-खण्ड क्रमश: (क) (ब) और (ख) (ब) में दिए गए ऐच्छिक विषयों में से चुने गए विषय । प्रत्येक सेवा के उम्मीदवार उन उप-खण्डों के उपबन्ध के अधीन 400 अंक तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं ।

(ख) मौखिक-परीक्षा:—(इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (ख) को देखिए) उन उम्मीदवारों की जिनको आयोग बुलाए, के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे ।

खण्ड-2

परीक्षा के विषय

(क) भारतीय अर्थ सेवा

(अ) अनिवार्य विषय (देखिए ऊपर खण्ड 1 का उप-खण्ड (क) का खण्ड (1) को)

(1) सामान्य अंग्रेजी	150
(2) सामान्य ज्ञान	150
(3) अर्थशास्त्र-1	200
(4) अर्थशास्त्र-2	200

(अ) ऐच्छिक विषय (देखिए ऊपर खण्ड-1 के उप-खण्ड (क) (2) को)

(1) तुलनात्मक आर्थिक विकास	200
(2) द्रव्य तथा लोक-वित्त	200
(3) ग्राम अर्थशास्त्र तथा सहकारिता	200
(4) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र	200
(5) सांख्यिकी-1	200
(6) सांख्यिकी-2	200
(7) गणितीय अर्थशास्त्र तथा अर्थनिति	200
(8) नमूना सर्वेक्षण	200
(9) औद्योगिक अर्थशास्त्र	200
(10) व्यापार के सिद्धान्त	200
(11) व्यवसाय वित्त तथा अभ्यास	200
(12) व्यवसायिक प्रबन्ध तथा वाणिज्य नियम	200

शर्त यह है कि किसी उम्मीदवार को 'अन्तरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र (4) और "व्यापार के सिद्धान्त तथा अभ्यास (10) दोनों विषय चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न प्रश्न-पत्र होंगे, अर्थात् :—(1) औद्योगिक सांख्यिकी, (2) आर्थिक सांख्यिकी, (3) शैक्षिक सांख्यिकी, (4) जनन सांख्यिकी तथा (5) जन्मविद्या और जन्म-मरण सांख्यिकी । इनमें से उम्मीदवार को किन्हीं दो का चुनाव करना है । प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक 100 होंगे ।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा

(ख) अनिवार्य विषय (ऊपर खण्ड-1 के उप-खण्ड 1 के उपखण्ड (क) (1) को देखिए) ।

	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	150
(2) सामान्य ज्ञान	150
(3) सांख्यिकी-1	200
(4) सांख्यिकी-2	200

(क) ऐच्छिक विषय (ऊपर खण्ड 1 के उपखण्ड (क) (2) को देखिए) ।

(1) अग्रवती संभाविता तथा यादृच्छिक प्रक्रिया	200
(2) सांख्यिकीय अनुमिति	200

(3)	प्रयोगात्मक आयेकलप . .	200
(4)	न्मूना सर्वेक्षण . . .	200
(5)	अर्थ शास्त्र-1 . . .	200
(6)	अर्थ-शास्त्र-2 . . .	200
(7)	गणितीय अर्थशास्त्र तथा अर्थमिति .	200
(8)	तुलनात्मक आर्थिक विकास .	200
(9)	शुद्ध गणित-1 . . .	200
(10)	शुद्ध गणित-2 . . .	200
(11)	शुद्ध-गणित-3 . . .	200
(12)	अनुप्रयुक्त गणित . . .	200

इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न प्रश्न-पत्र होंगे, अर्थात् (1) औद्योगिक सांख्यिकी (2) आर्थिक सांख्यिकी (3) शैक्षिक सांख्यिकी (4) जनन सांख्यिकी तथा (5) जन्मविद्या और जन्म-मरण सांख्यिकी। इनमें से उम्मीदवार का किन्हीं दो को चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम 100 अंक होंगे।

नोट :—इस खण्ड में दिए हुए विषयों का पाठ्य विवरण और स्तर इस परिशिष्ट अनुसूची के भाग (क) में दिया गया है।

खण्ड-3

1. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे।

2. सांख्यिकी-2 को छोड़कर उपर्युक्त खण्ड 2 में दिए गए प्रत्यक विषय प्रश्न-पत्र के लिए 3 घण्टे का समय दिया जाएगा। सांख्यिकी-2 में इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (क) की मद (आइटम) 6 पर इस विषय के नीचे दिए गए नोट के अनुसार डेढ़ घण्टे के पांच प्रश्न-पत्र होंगे।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

5. भारतीय आर्थिक सेवा के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों के दो एच्छिक प्रश्न-पत्रों तथा निम्नलिखित अनिवार्य विषयों अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा। जो लिखित परीक्षा के अर्थशास्त्र-1 और अर्थशास्त्र-2 विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों के दो ऐच्छिक प्रश्न-पत्रों तथा निम्नलिखित अनिवार्य विषयों अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के सांख्यिकीय-1 और सांख्यिकीय-2 विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिए जाएंगे।

7. अनावश्यक ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक ठीक की गई हो।

9. उम्मीदवारों से तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाए।

अनुसूची

(भाग-क)

अंग्रेजी भाषा तथा समान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का स्तर वही होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य विषयों के प्रश्न पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संबद्ध व्यवस्थाओं के अंतर्गत 'मास्टर' डिग्री परीक्षा स्तर के होंगे। उम्मीदवारों से तथ्यों द्वारा सिद्धांत की व्याख्या करने और सिद्धांतों द्वारा समस्याओं का विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाएगी उनसे अर्थशास्त्र/सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में भारतीय समस्याओं से संबंधित विशेष रूप से निपुणता की अपेक्षा की जाएगी।

1. सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा में एक निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्न उम्मीदवारों की अंग्रेजी संबंधी योग्यता एवं अंग्रेजी शब्दों के सामान्य प्रयोग की जांच करने के लिए रखे जाएंगे। साधारणतया सारांश अथवा सारलेख के लिए गद्यांश रखे जायेंगे।

2. सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न-पत्र के दो भाग होंगे :—

पहले भाग में उम्मीदवारों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सामयिक घटनाओं का और दिन-प्रतिदिन देखी और अनुभव की जाने वाली बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ऐसा ज्ञान सम्मिलित है जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न-पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

दूसरे भाग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके द्वारा उम्मीदवारों की तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करने तथा उनसे तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने, जटिलताओं को प्रत्यक्ष जाने लेने की योग्यता एवं महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण के बीच अंतर करने की योग्यता की जांच की जा सके।

3. अर्थ-शास्त्र

क्षेत्र तथा विधियां ।

साम्य विश्लेषण

उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत/तटस्था वक्र रेखाओं का विश्लेषण/अधिमान संबंधी विचार धाराएं/उपभोक्ता की बचत/उत्पत्ति के सिद्धांत/उत्पत्ति के कारक/उत्पत्ति-फलन/उत्पत्ति के नियम/फर्म तथा उद्योग के अंतर्गत साम्य ।

विभिन्न प्रकार के बाजार संगठनों में मूल्य निर्धारण । समाजवादी अर्थ व्यवस्था में मूल्य निर्धारण । मिश्रित अर्थ व्यवस्था में मूल्य निर्धारण ।

लोकोपयोगी सेवाएं :—लोकोपयोगिताओं की आर्थिक विशेषताएं । लोकोपयोगिताओं में मूल्य निर्धारण, लोकोपयोगिताओं का नियमन ।

वितरण का सिद्धांत । उत्पत्ति कारकों का मूल्य निर्धारण, लगान, मजदूर, ब्याज तथा लाभ के सिद्धांत । समष्टि-वितरण सिद्धांत । राष्ट्रीय आय में मजदूरी का भाग । लाभ और आर्थिक प्राप्ति । आय वितरण में असमानताएं ।

रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत :—क्लासिकल तथा नव-क्लासिकल विचारधाराएं । कीन्स का रोजगार सिद्धांत । कीन्स के बाद के सिद्धांत ।

आर्थिक उतार-चढ़ाव । व्यापार चक्रों के सिद्धांत । व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां ।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र-कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षेत्र, क्लासिकल तथा नव-क्लासिकल विचारधाराएं; नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत; अनुकूलपम दशाएं, नीति संबंधि बाधाएं ।

4. अर्थशास्त्र-II

आर्थिक विकास की संकल्पना तथा उसका मांप दंड । सामाजिक लेखे : राष्ट्रीय आय के लेखे । निधि-प्रवाह का लेखा. विविष्ट-निपज का लेखा ।

सामाजिक विचारधाराएं तथा आर्थिक विकास । विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं तथा समस्याएं ।

जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास ।

आर्थिक विकास के सिद्धांत । विकास के प्रतिमान ।

आयोजन—संकल्पना तथा विधियां । समाजवादी तथा पूंजीवादी आर्थिक संगठन के आयोजन । मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन । ठोस आयोजन । क्षेत्रीय आयोजन । विनियोग के सिद्धांत तथा पद्धतियों का चयन; लागत-लाभ विश्लेषण । योजना माडल ।

भारत में आयोजन । आयोजन का प्रारंभ । पंचवर्षीय योजनाएं । उद्देश्य तथा पद्धतियां । संस्थापनों की गतिशीलता, प्रशासन तथा जनसहयोग । मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का योगदान; मुख्य-नीति, नियंत्रण तथा बाजार-विन्यास । व्यापार नीति तथा भुगतान संतुलन । सार्वजनिक उद्यमों का योगदान ।

5. सांख्यिकी

विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय सन्निकटन, परिमित अंतर, प्रमान-अंतवेशन-सूत्र तथा परिशुद्धताएं, प्रतिलोभ अंतर्वेशन । अवकलन और समाकलन की सांख्यिकीय विधियां ।

समांविता की परिभाषा-क्लासिकल मत, स्वयं-सिद्ध मत । प्रतिचयन अवकाश । पूर्ण एवं मिश्रित समांविता का सिद्धांत । प्रतिबंधी संभाविता । स्वतंत्र घटनाएं । बाई का सूत्र । यादृच्छिक चर, संभाविता अंटन; गणितीय प्रत्याशा । घूर्णजनक फलन तथा लक्षण फलन; प्रतिलचम प्रमेय । टेबीकेव की असमता । प्रतिबंधित बंटन । बृहत संख्याओं के नियम तथा केन्द्रीय सीमिति प्रमेय ।

प्रमाप बंटन : द्विपद, प्यासों, प्रसामान्य, आयताकार, पातीय, विलोम द्विपद, अतिगुणोत्तर, कोशी, लाप्लास, बीटा तथा नामा बंटन । द्विचर तथा बहुचर प्रसामान्य बंटन ।

बृहत और सूक्ष्म प्रतिचयन सिद्धान्त:—अनंत स्पर्शीय प्रतिचयन बंटन तथा बृहत प्रतिचयन परीक्षण । प्रमाप प्रतिचयन बंटन जैसे टी, एक्स 2, एफ० तथा उन पर आधारित सार्थकता-परीक्षण । सहाचर्य तथा आसंग सारिणियों का विश्लेषण ।

सह-संबंध गुणांक तथा उसका बंटन; फिशर का 'जेड' रूपांतरण गुणांक ।

समाश्रयण :—आसंजन रेखा बहुपद; अनेकवा समाश्रयण तथा अनेकघा सह-संबंध गुणांक-निरकरणीय मामलों में सनका बंटन । अंतवर्गीय सह-संबंध । वर्ग आसंजन तथा लम्ब कोणीय बहुपद ।

प्रसरण विश्लेषण । एक घातीय प्राक्कलन का सिद्धांत । अन्तक्रिया प्रभाग सहित दिक् वर्गीकरण । सहप्रसरण विश्लेषण । प्रयोग अभिकल्पना के मूल सिद्धांत । समान्य अभिकल्पनाओं का अभिन्यास तथा विश्लेषण जैसे यादृच्छिकीकृत खंड तथा लेटिन वर्ग-चित । बहु उपादानीय प्रयोग तथा संकरण लुप्त क्षेत्र संख विभि ।

प्रतिचयन विधियां :—प्रतिस्थापन युक्त तथा प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छ प्रतिचयन । समाश्रयण तथा अनुपात प्राक्कलन । सामूहिक प्रतिचयन, बहुक्रम प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन । अप्रतिचयन त्रुटियां ।

प्राक्कलन :—मूल संकल्पनाएं । एक अच्छे प्राक्कलन की विशेषताएं । बिन्दु प्राक्कलन तथा अंतराल प्राक्कलन । अधिकतम संभाविता प्राक्कलन तथा उनके गुणधर्म ।

परिकल्पनाओं के परीक्षण । सांख्यिकीय परिकल्पनाएं :—सरल तथा संयुक्त परिकल्पना । सांख्यिकीय परीक्षण की संकल्पना । त्रुटियों के दो प्रकार । घात फलन । संभाविता अनुपात परीक्षण । विश्वास अंतराल प्राक्कलन । अनुकूलतम विश्वास परिबंध ।

असमष्टीय परीक्षण जैसे—संकेत परीक्षण, माध्यिका परीक्षण तथा चाल परीक्षण । सरल विकल्पना के विपरीत सरल परिकल्पना परीक्षण के लिए बाल्डंका अनुक्रमिक संभाविता अनुपात परीक्षण । "ओसी" तथा "ए० एस० एन" फलन तथा उनके सन्निकटन ।

6. सांख्यिकी II

नोट :—इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात् (i) औद्योगिक सांख्यिकी, (ii) आर्थिक सांख्यिकी (iii) शैक्षिक सांख्यिकी (iv) जन सांख्यिकी तथा (v) जन्मविद्या और जन्म-मरण सांख्यिकी ।

जो उम्मीदवार इस विषय को अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में लेंगे उन्हें उपर्युक्त किन्ही दो का चुनाव करना होगा, जिसको उन्हें अपने प्रार्थना-पत्र में बताना होगा। एक बार प्रश्न पत्र चुनने के बाद परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(I) सांख्यिकीय प्रकार नियन्त्रण सहित औद्योगिक आंकड़े—

उद्योग के अन्तर्गत प्रकार नियंत्रण का सैद्धांतिक आधार। सहन-सीमाएं। विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट "एक्स" "आर" चार्ट, "पी" और "सी" चार्ट, वर्ग नियंत्रण चार्ट।

सकार प्रतिचयन। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अनुक्रमिक प्रतिचयन योजना। "ओ सी" तथा "ए० एस० एन" फलत। गुणों (attributes) तथा चरों (variables) द्वारा प्रतिचयन। डोज-रोमिग तथा अन्य सारणियां।

औद्योगिक सम्परीक्षण डिजाइन। उद्योगों में समानयण विधियों का प्रयोग तथा प्रसरण विधियों का विश्लेषण।

उद्योग में एकयातीय कार्यक्रम सहित संक्रियात्मक अनुसंधान विधियों का प्रयोग।

(II) अर्ध-सांख्यिकी

मूल्य और परिमाण के सूचकांक। सूचकांकों के विभिन्न प्रकार, जैसे :—थोक मूल्यों के सूचकांक तथा जीवन निर्वाह मे सूचकांक। सूचकांकों का सिद्धांत।

आय-वितरण। पैरेटो वक्र तथा अन्य वक्र। एक केन्द्रीय वक्र तथा उनके लाग।

राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के प्रावकलन की विधियां। अन्तर्क्षेत्रीय आगम। क्षेत्रीय आय प्रावकलन वर्ग समस्याएं। अन्तर्उद्योग सारिणी। निविष्ट-निष्ट विश्लेषण तथा एकघातीय कार्यक्रम का प्रयोग।

आर्थिक काल-श्रेणियों का विश्लेषण तथा निर्वचन। आर्थिक काल-श्रेणियों के चार संघटक। गुणात्मक तथा संयोज्यात्मक माडल। वक्र आसंजन तथा चल माध्यविधि उपनति निर्धारण। स्थिर तथा चल सामयिक सूचकांकों का निर्धारण। स्वसहसंबंध। आवर्तितावर्क विश्लेषण। युदृच्छिका का परीक्षण।

उपभोग और मांग का सिद्धांत, मांग के कार्य, मांग की लोच, काल श्रेणी तथा पारिवारिक बजट आंकड़ों द्वारा मांग का सांख्यिकीय विश्लेषण।

(III) शैक्षिक आंकड़े मनोमिति सहित :—

परीक्षण मदों का मापन। विशंक, प्रमाप विशंक, सामान्य विशंक "टी" तथा "सी" माप, स्टेनीन मान, शततमक माप।

मानसिक परीक्षण, परीक्षणों की विश्वसनीयता और सुसंगति। विश्वसनीयता की संगणना की विभिन्न विधियां। विश्वसनीयता का सूचक। सुसंगति निर्धारण की प्रक्रियाएं। परीक्षण बेटरी के वैधता। चाल बनाम धात परीक्षण।

उद्दीपना विश्लेष। मद विश्लेषण। अभिरुचि परीक्षणों में सह-संबंध विधियों का उपयोग।

स्मरण तथा विस्मरण का माप, स्मरण माडल। अभिवृत्ति तथा मत का माप। समूहगत व्यवहार के माप।

(IV) जनन आंकड़े :

आनुवंशिकता का भौतिक आधार। मेन्डल के नियम। लिंकेज। पृथक्करण का विश्लेषण। लिंकेज की पहिचान तथा प्रावकलन।

बहुजनन आनुवंशिकी। दृश्यरूप विचलन के संघटक। अनुवंशिकता का प्रावकलन, चयन। चयन का आधार। प्रजनन परीक्षण। चरित्र समिश्रण के लिए चयन।

जनसंख्याजनन। जनन बारंबारता। अंतः प्रजनन। यादृच्छिक उमागम। लिंकेज का विसाम्य।

मानव जनन के तत्व। रक्त वर्गों का अध्ययन। रोग विशेषताएं तथा विघन।

(V) जनांकिकी तथा जन्म-मरण संबंधी आंकड़े :—

जीवन सारिणी; उसका निर्माण तथा गुण। मेकेहम तथा मोगपर्त्व वक्र, मृत्यु संख्या की वार्षिक तथा केन्द्रीय दरों की व्युत्पत्ति। राष्ट्रीय जीवन सारणियां। यू० एन० आदर्श जीवन सारणियां। संक्षिप्त जीवन सारणियां। स्थिर जन संख्या। स्थावर जनसंख्या।

अशोधित प्रजनन दरें, विशिष्ट प्रजनन दरें, कुल और शुद्ध जन्म दरें; परिवार का आकार; अशोधित मृत्यु दरें, बाल-मृत्यु दरें। सकारण मृत्यु संख्या; प्रमाणीकृत दरें।

आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन; विशुद्ध प्रत्यावर्तन, पिछली तथा उन्नत अतिजीविता अनुपात सिद्धांत।

जनांकिकीय संक्रमण; जनसंख्या निर्धारण के सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारण।

जनसंख्या प्रक्षेप। गणितीय तथा संघठक विधियां वृद्धिघात-वक्र आसंजन।

7. तुलनात्मक आर्थिक विकास :—

विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विशेष रूप से भारत, जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के संदर्भ में आधुनिक आर्थिक विकास का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन। उम्मीदवारों से विभिन्न प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं, जैसे क्रय-विक्रय प्रधान स्वतंत्र उद्यम अर्थ-व्यवस्था, केन्द्रीय योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था तथा उनमें हुए परिवर्तन, विशेष रूप से विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं को प्रदान करने योग्य शिक्षाओं की दृष्टि से, के ऐतिहासिक उद्भव तथा क्रियात्मक लक्षणों आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जायेगी।

8. मुद्रा तथा सार्वजनिक वित्त

मुद्रा का स्वरूप तथा कार्य। मुद्रा का मूल्य। मुद्रा, उत्पत्ति और मूल्य गुणक तथा आय उत्पादन की प्रक्रिया। व्यापार चक्र और मूल्य-व्यापार। मुद्रास्फीति।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य तथा रचना। बैंक-दर तथा खुले बाजार की कार्रवाई। केन्द्रीय बैंक पद्धति। सामान्य तथा सुविशिष्ट साख नियंत्रण। विकासशील अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति। विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार का संगठन।

सार्वजनिक वित्त : स्वरूप, क्षेत्र, महत्व और उद्देश्य ।

करारोपण के सिद्धांत :— करघात तथा करापात । करदेय क्षमता तथा दुहरा करारोपण । सार्वजनिक व्यय का प्रभाव तथा महत्व । पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास की वित्तीयनीति । घाटे की वित्त व्यवस्था । सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय ।

सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत । आन्तरिक और विदेशी ऋण; ऋण व्यवस्था ।

संघीय वित्त-व्यवस्था के सिद्धांत ।

9. ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा सहकारिता :

आर्थिक विकास में कृषि का योगदान ।

कृषि उत्पादन तथा संसाधनों का उपयोग, उत्पादन फलन, उत्पादन माप, लागत और पूर्तिचक्र, अनिश्चितता की स्थिति में उत्पादन कारकों का संयोजन तथा उत्पादन विधियों का चयन । फसल आयोजन ।

उत्पादन कारकों का क्रय-विक्रय :—भूमि का क्रय-विक्रय, भूमि का मूल्य और लगान । श्रम का क्रय-विक्रय; मजदूरी और रोजगार, बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार । पूंजी बाजार, बचत और पूंजी का निर्माण ।

वस्तुओं की मांगें । खाद्यान्न की मांग ।

कृषि अन्य पदार्थों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-मूल्य, टेरिफ वस्तु संबंधी समझौते । कृषि-विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

भारतीय ग्राम्य-अर्थ-व्यवस्था की समस्याएं ।

कृषि-जोत । भूमि का अधिग्रहण । फसल-पद्धति । कृषि-निपज की समस्याएं । भूमिधारी सुधार । सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य । कृषि संबंधी धंधे और ग्रामीण उद्योग । ग्रामीण ऋण ग्रस्तता कृषि साख । कृषि विपणन और मूल्य प्रसार । वस्तुओं की मांग और खाद्यान्नों की मांग । मूल्य अवलम्ब और स्थिरता । कृषि भूमि तथा कृषि आय कर करारोपण । आयोजन के अन्तर्गत भारतीय कृषि की विकास दर ।

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का स्थान । कृषि-विकास के मुख्य कार्यक्रम ।

सहकारिता : सिद्धांत, उद्गम तथा विकास । भारत तथा दूसरे देशों के सहकारिता आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन । भारत में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं का रूप, संगठन तथा कार्यप्रणाली । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में इन संस्थाओं का महत्व । राज्य तथा सहकारी आंदोलन । रिजर्व बैंक आफ इंडिया का योगदान ।

10. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र :

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत । व्यापार से लाभ । व्यापार की शर्तें । व्यापार नीति । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास : टेरिफ का सिद्धांत । परिणामात्मक व्यापार नियंत्रण । सीमाशुल्क । सीमाशुल्क संघ । मुक्त व्यापार क्षेत्र । यूरोपीय साझा बाजार ।

भुगतान शेष । भुगतान शेष के असंतुलन । समायोजन की प्रक्रिया । विदेशी व्यापार गुणक । विनियम-दर । आयात और विनिपद नियंत्रण । व्यापार समझौते । प्रमुख करेंसी प्रमाप । बाह्य और आंतरिक संतुलन ।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं । अन्तर्राष्ट्रीय ऋणनिस्तारण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष । अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार । विकासशील देशों के संबंध में भेदभाव रहित प्रवृत्तियां । निर्यात अस्थिरता और वस्तुओं के बाजार भाव की स्थिरता । अन्तर्राष्ट्रीय निजी और सार्वजनिक पूंजी में संवर्धन जी० ए० टी० टी० का योगदान आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I R B D) एवं तत्संबंधी संस्थाएं । एशियाई विकास बैंक ।

11. गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थमिति—

अर्थ शास्त्र में गणित और सांख्यिकी का महत्व : अर्थशास्त्र में मापों का प्रयोग । अर्थशास्त्र में गणित का महत्व । आर्थिक सहयोग के मापन में सांख्यिकीय अनुमति की विधियों और पद्धतियों का प्रयोग ।

मांग विश्लेषण :—मांग का सामान्य सिद्धांत और मांग की मान; गत्यात्मक और स्थैतिक मांग फलन । आयोजन की स्थिति में अर्थ : संबंधित मांग और पूर्तिफलन माग और पूर्ति प्राक्कलन की विधियां । मांग प्रक्षेप तथा मांग और मूल्य के प्रति अल्पकालीन दृष्टिकोण ।

उत्पत्ति-फलन :—उत्पादन और उत्पादन संभावना फलन की संकल्पना, उत्पादन-फलन लागू करने की विधियां । उत्पादन आयोजन और उत्पादन नियंत्रण की गणितीय विधियां ।

एकाधातीय कार्यक्रम :—क्रिया-विश्लेषण; एकधातीय कार्यक्रम और उसका उपयोग । निविष्ठ-निपज विश्लेषण; युग्म सिद्धांत के तत्व-आर्थिक आयोजन में उनका प्रयोग ।

कोन्सवादी अर्थशास्त्र और क्लासिकल अर्थशास्त्र के गणितीय माडल :—गुणक संकल्पना; त्वरक सिद्धांत । साम्य विश्लेषण; उपभोक्ता साम्य, स्थिर दशाएं, आय और मूल्य वृद्धि की मांग पर प्रभाव, पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं ।

बाजार मांग-विनियम संतुलन, व्यवसाय, संतुलन । अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन और विनियम का साम्य, मांग और पूर्ति का सामान्यीकृत नियम ।

निर्मिति (structure) और माडल की संकल्पना :—

निर्मिति की विभिन्न संकल्पनाएं—निर्मिति और माडल में भेद । स्वतंत्र समीकरण और सम्मिलित समीकरण माडलों में समष्टि प्राक्कलन ।

आयोजन माडल :—विभिन्न प्रकार के विकास माडल, पूंजी-निपज अनुपात और आर्थिक आयोजन में उनका उपयोग । आयोजन माडल । दीर्घकालीन प्रक्षेप और संदर्श; अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान ।

12. प्रतिचयन सर्वेक्षण

जनगणना और सर्वेक्षण में प्रतिचयन का स्थान । ढांचे और प्रतिचयन इकाई की संकल्पना ।

प्रतिचयन की विधियां :—यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, स्तरण का चयन, बहुखण्डीय प्रतिचयन, सामूहिक प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन, दुहरा प्रतिचयन, चर-प्रतिचयन भिन्न आकार के अनुपात में संभाविता के साथ प्रतिचयन, बहुपदीय प्रतिचयन, प्रतिलोम प्रतिचयन ।

प्रावकलन की प्रक्रियाएं :—कुल और औसत जन संख्या का प्रावकलन; प्रावकलन में अभिनति; प्रावकलन की मानक त्रुटि। अनुपात समाश्रयण और गुणन प्रतिचयन।

अनुकूलतम अभिकल्पनाएं : —लागत और प्रसरण फलन, पथप्रदर्शी सर्वेक्षण का उपयोग। प्रतिचयन इकाइयों का अनुकूलतम आकार और गठन। स्तरित, बहुमदीय, और बहुखंडीय अभिकल्पनाओं में अनुकूलतम विनिवान। आवृत्ति सर्वेक्षण में अनुकूलतम प्रतिस्थापन भिन्न।

गैर-प्रतिचयन त्रुटियां और उनका नियंत्रण, अनुक्रिया-अभाव का सिद्धांत, अन्तर्देशी प्रतिचयन।

अभिकल्पना और पथप्रदर्शी तथा बड़े पैमाने के यादृच्छिक प्रतिचयन का संगठन। प्रतिचयन के रेखांकन की परिचालन प्रक्रियाएं यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं का उपयोग। "पी० पी० एस०" प्रतिचयनों के रेखांकन की विभिन्न विधियां। आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन की प्रक्रियाएं। सर्वेक्षण आंकड़ों का विश्लेषण और प्रतिवेदनों का निर्माण।

13. औद्योगिक अर्थशास्त्र :

उद्योग-प्रतिस्पर्द्धी उद्योगों का गठन। औद्योगिक इकाई के आकार का सिद्धांत। औद्योगिक स्थान का निर्धारण। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास। औद्योगिक समाकलन। संघ और एकाधिकार।

औद्योगिक उत्पादन की समस्याएं। उत्पादकता—संकल्पना और मापन। उत्पादकता वृद्धि की विधियां। लागत रचना और मूल्य-निर्धारण की नीतियां।

भारतीय उद्योगों का गठन—आकार, स्थिति, एकीकरण और क्षेत्रीय संतुलन।

भारतीय उद्योगों की समस्याएं—वित्त, विविष्टियां, क्षमता का उपयोग। औद्योगिक नीति। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र। औद्योगिक लाइसेंस की नीति। विदेशी पूंजी और तकनीकी सहयोग। सार्वजनिक उद्यम की समस्याएं—संगठन, प्रबंध, नियंत्रण और उनका लेखा-जोखा।

छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्याएं और औद्योगिक सम्पत्ति।

श्रम और आर्थिक विकास। श्रम उत्पादकता और प्रेरणा स्रोत। भारत औद्योगिक संबंध। मजदूर संघों का गठन और संगठन। मजदूर संघ और राज्य। औद्योगिक झगड़ों का निबटारा। न्यूनतम और उचित मजदूरी। मजदूरी और कार्य करने की दशाओं का राज्य द्वारा निर्धारण। श्रम कल्याण।

14. व्यापार सिद्धान्त और व्यापार कार्य :

क्रय विक्रय। क्रय-विक्रय की संकल्पना; बाजार की विशेषताएं। विष्पण कार्य : विपणन क्रिया, केन्द्रीयकरण और विस्तार, क्रय, विक्रय माल-यातायात मंडारण, कोटिक्रम और वित्त। ग्राहक का स्वभाव और निर्णय। बाजार संबंधी जानकारी और अनुसंधान वितरण के स्रोत। बाजार लागत और बाजार क्षमता, बिक्री पूर्वानुमान और आयोजन। बिक्री प्रोत्साहन; विज्ञापन और विक्रेता के गुण। राज्य नियंत्रित बाजार।

भारतीय बाजार। कृषि उपज और औद्योगिक वस्तुओं का बाजार।

भारत में संयुक्त बाजार :—स्टाक एक्सचेंज और उपज एक्सचेंज, उनके कार्य और क्रियाविधि। सरकारी नीति; सरकारी विपणन संगठन और राजकीय व्यापार।

विदेशी व्यापार। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। घरेलू व्यापार के भिन्न व्यापार की विशेष समस्याएं; यातायात, वित्त और बीमा; साख से संबंधित जोखिम, विनियम दर में उतार-चढ़ाव और भुगतान स्थान। विदेशी व्यापार में प्रयुक्त अभिलेख। आयात और निर्यात केन्द्रों का गठन और संगठन। निर्यात और आयात नियंत्रण के तरीके।

भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं—वस्तु-समझौता, मूल्य, दिशाएं। गत दशक में निर्यात और आयात नियंत्रण की क्रियाएं। लाइसेंस प्रक्रियाएं और उसका आधार। विदेशी व्यापार वित्त। निर्यात जोखिम गारंटी पद्धति। हाल ही के वर्षों में निर्यात वृद्धि के लिए अपनाई गई विधियां, भारत के व्यापार समझौते। राज्य व्यापार निगम के कार्य।

15. व्यवसाय वित्त और लेखे

आधुनिक उद्योग की वित्तीय आवश्यकताएं। भारत में औद्योगिक वित्त के साधन। भारतीय पूंजी बाजार। संस्थाओं द्वारा वित्त प्रबंध। विदेशी पूंजी; स्रोत, ब्याज की दरें और भुगतान की शर्तें। किसी एक फर्म की बजट पूंजी संबंधी आवश्यकताएं। उत्तम पूंजी की रूपरेखा। किसी फर्म में अन्तर्गत निधियों के स्रोत और उपयोग। निजी वित्त। मूल्य ह्रास की नीति। संचित कोष और लाभांश। करारोपण और वित्तीय नीति।

पूंजी की बजट व्यवस्था। वित्तीय विवरण की तैयारी, विश्लेषण और निर्वचन। साख और शेयरों का मूल्यांकन। पुनर्निर्माण, एकीकरण और विलयन योजनाओं का निर्माण; लेखा-बही में अनाद्रत हुंडियों का इंदराज।

लागत विवरणों का निर्माण; खर्चे की व्यवस्था और नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण के सिद्धांत। प्रामाणिक लागत। वित्तीय और लागत लेखों का मिलान।

16. व्यवसाय प्रबन्ध और वाणिज्य-विधि

प्रबन्ध पद्धति और प्रबंधीय कार्य। नीति निर्धारण और व्यवसाय के उद्देश्य। नेतृत्व और साहस, नियंत्रण और निर्णय की शक्ति। प्राधिकार संबंध, प्राधिकार शिष्टमण्डल, प्राधिकार के स्तर और उत्तरदायित्व, नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षक की भूमिका।

संचार और प्रेरणास्रोत की समस्याएं।

उत्पादन और वस्तु-सूची नियंत्रण। प्रकार नियंत्रण।

समय और गति का अध्ययन। संयम की स्थापना और कार्य की नाप-जोख।

बाजार क्रियाओं के अन्तर्गत प्रबंधकीय समस्याएं। वितरण के स्रोतों का चयन और नियंत्रण। उत्पादन-क्रम, मूल्य निर्धारण और बिक्री वृद्धि की नीति। मांग विश्लेषण और विज्ञापन।

कर्मचारी वर्ग का प्रबंध। चयन, प्रतिस्थापन, तरक्की, स्थानान्तरण और सेवा-मुक्त करने की समस्याएं। सेवा-मूल्यांकन और योग्यता-निर्धारण। संघीय-प्रबंध संबंध।

भारत में व्यावसायिक कार्यों का विधि-सम्मत गठन। अनुबंधों और कम्पनियों से संबंधित कानून।

17. उच्च संभाविता और यादृच्छिक क्रियाविधियां

संभाविता माप, यादृच्छपद, बंटन फलन का विघटन, यादृच्छ पदों की प्रत्याशा। प्रतिबंधी संभाविता और प्रतिबंधी प्रत्याशाएं, अनुक्रम का एकीकरण और स्वतंत्र यादृच्छ पदों का योग कालमोगोव की विषमता, बहुत संख्याओं का कठोर और कम-जोर नियम; बंटन में एकीकरण, रूपांतरण और स्तंतता के सिद्धांत; गुणफलन, अद्वितीय सिद्धांत, प्रतिलोभ सूत्र, केन्द्रीय सीमा सिद्धांत; घूर्ण की समस्याएं।

यादृच्छिक प्रक्रियाएं और उनका वर्गीकरण, वर्ण-क्रम और सह-संबंध फलन, यादच्छ अनुक्रम, मारकोव शृंखलाएं, मारकोफ प्रक्रिया, : स्थेतिया प्रक्रिया, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरल काल-निर्भर यादृच्छिक प्रक्रियाएं पोएसन (Poisson) प्रक्रिया। विशुद्ध जन्म की प्रक्रिया विधि, और जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया।

18. सांख्यिकीय अनुमान

नोट :—उम्मीदवार को खंड 'क' और 'ख' अथवा खंड 'क' और 'ग' प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

(क) (i) प्राक्कलन

प्राक्कलन की विभिन्न विधियां : अधिकतम संभाविता की विधि, न्यूनतम वर्ग विधि घूर्ण की विधि, लघुतम वर्गों की विधि, अधिकतम संभाविता आगणक के अनन्तस्पर्शीय गुण धर्म।

क्रेमर-राव असमता और बहु-समष्टिक मामलों में उसका सामान्यीकरण। भट्टाचार्य परिबंध। पर्याप्त सांख्यिकी गुणन-खंडन प्रमेय, पिटमैन, कूपमैन-डरमोहस प्रकार के बंटन, पर्याप्त सांख्यिकी के न्यूनतम सेट, राव तूलेक बेल का प्रमेय। संभाविता बंटन का पूर्ण परिवार, पूर्ण सांख्यिकी। न्यूनतम प्रसरण प्राक्कलन पर लेमेन-शेफे का सिद्धांत।

(ii) परिकल्पनाओं का परीक्षण

परिकल्पना-परीक्षण का नेमेन पियर्सन सिद्धांत। यादृच्छिक अयादृच्छिक परीक्षण।

अति राशक्त और समानतः अधिसशक्त परीक्षण। नेमैन-पियर्सन की मूल प्रमेयिका। अनमिनत त्रुटि, परीक्षणों की सामंजस्यता और दक्षता। एकरूप क्षेत्र, स्थानीय अनुकूलतम गुणधर्म सहित परीक्षण। 'ए' व 'ए'। 'बी', 'सी' तथा 'डी' किस्म के संशय अन्तराल। पूर्णता और एकरूपता वाले सिद्धांतों में संबंध परीक्षण-विन्यास का संभाविता अनुपात सिद्धांत और उसके कुछ प्रयोग। प्रसरणों की एकरूपता के लिए बार्टलेट परीक्षण।

(iii) समष्टि-रहित परीक्षण

क्रम समंक : लघु प्रतिचयन और दीर्घ प्रतिचयन बंटन मुक्त विश्वस्त अन्तराल। निम्नलिखित के लिए बंटन मुक्त क्षेत्र :—

(i) आसंजन सोष्ठव का वर्गीय परीक्षण, कालमोगोरोव-सिमर्नोव परीक्षण।

(ii) दो जनसंख्याओं की तुलना : चाल परीक्षण, डिक्सन का परीक्षण, विलकाक्सन का परीक्षण, माध्यिका परीक्षण, लक्षण परीक्षण, फिशरपिटमैन का परीक्षण।

(iii) स्वातंत्र्य : आसंगता, का—वर्ग स्पीयरमैन और केंडल का कोटि-सह संबंध गुणांक।

असमष्टीय परीक्षणों के बृहत प्रतिचयन गुणधर्म। त्रिगुर्णीय न्यास (यू—स्टेटिस्टिक्स) और उनके सीमांत बंटन।

(ख) निर्णय फलन

सांख्यिकीय योजना और उससे संबंधित चयन के सिद्धांत। सांख्यिकीय योजना के रूप में सांख्यिकीय समस्याओं का निरूपण, निर्णय फलन, यादृच्छिक और अयादृच्छिक निर्णय के नियम। मिनिमैक्स, बाई के न्यूनतम खेद निर्णय नियम। वर्ग-त्रुटि हानि फलन में ग्राह्य और मिनिमैक्स प्राक्कलन। परीक्षणों के अलिप्ट पूर्ण वर्ग।

पर्याप्ति का सिद्धांत और अप्रसरण का सिद्धांत। हंट-स्टीन प्रमेय। मिनिमैक्स अप्रसरण निर्णय नियम।

(ग) बहु-चर विश्लेषण

बहु-चार सामान्य बंटन, माध्य सदिश और सह-प्रसरण आव्यूह का प्राक्कलन, प्रतिचयन माध्य-सादिश और अज्ञात के साथ माध्य-सदिश से संबंधित अनमिनि का बंटन, 'टी' के अनुकूलतम गुणधर्म। सामान्य सह संबंध में एकधा और कनेकधा समाश्रयण गणंक, बेहरेन—फिशर का निर्मेय : विशर्ट बंटन, विशार्ट का बर्धगुणधर्म, प्रसरण का सामान्यीकृत विश्लेषण; विहित चर और विहित सह संबंध, अनेक सह-प्रसरण आव्यूहों की समानता।

19. परीक्षणों के नमूने :—

परीक्षण के सिद्धांत :—यादृच्छिकरण, अभ्यावृत्ति और त्रुटि नियंत्रण। त्रुटि नियंत्रण के उपाय, परीक्षण इकाइयों के आकार प्रकार और बनावट का चयन, परीक्षण इकाइयों का समूहन।

प्रसरण विश्लेषण की मूल मान्यताएं। अप-संयोज्यता, प्रसरण विषमांग और असामान्यता का प्रभाव। रूपांतरण। शुद्ध और मिश्रित माडल। सहवर्तीचरों का उपयोग। सह-प्रसरण विश्लेषण।

अपूर्ण खंड नमूनों का निर्माण और विश्लेषण (अंतखंडोय जानकारी सहित या रहित), गवाक्ष-नमूने, आंशिक रूप से संतुलित अपूर्ण खंड नमूने, कुछ दिशाओं में विषमांगता दूर करने के लिए हाइपर ग्रेमिओं-लेटिन स्क्वैयर और अन्य नमूने।

गुणनफलों के नमूनों का निर्माण और उनका विश्लेषण, समानांतरण श्रेणी में गुणनफलों के परीक्षण में भ्रांति, पूर्ण और आंशिक, संतुलित भ्रांति। मुख्य प्रभावों की भ्रांति; विपाटित क्षेत्र अपाटित क्षेत्र तथा अन्य नमूने। गुणनफल अभ्यावृत्ति। गुणात्मक और संख्यात्मक गुणन-खंडों का परीक्षण।

लुप्त या मिश्रित उपजों के परीक्षण के लिए विश्लेषण की विधियां। अलंकोणीय आंकड़ों का विश्लेषण। परीक्षण-वर्गों के परिणामों का संयोजन अनुक्रिया वक्र और अनुक्रिया का प्रमाणीकरण।

20. शुद्ध गणित-I

सहजचरों के कार्य डीडकाईड—विधि से परिमेय संख्याओं में से सहज संख्याओं के निर्माण की प्रणाली। अनुक्रम और फलन की सीमाएं और प्रतिबंध, अनुक्रम के क्रमिक और साम्य-रूपक परिवर्तन, अनंत श्रेणी और अनंत गुणनफल।

मीटर अवकाश: खुले और बंद कुलक, सतत फलन और समरूपता, अभिसरण और पूर्णता, पूर्ण मीटर अवकाशों में समवेशी और बंद कुलकों का प्रमेय मीटर अवकाशों और यूक्लिडीय अवकाश। समरूप सातत्व और अरजेला प्रमेय। मीटर अवकाशों में संबद्ध कुलक।

एक अथवा अनेक यथार्थ पदों के फलन की अवकलनीयता। मध्य मूल, प्रयोग, एक अथवा अनेक पदों के फलन में टेलर क्रत विस्तार। लेगरेज गुणकों सहित फलनों का चरम मूल्य। अस्पष्ट और प्रतिलोभ फलन प्रमेय। फलनीय आश्रितता और जेकोबीयन।

रीमान अनुकलन, अनुकल कलनों के माध्य मूल——प्रमेय, अनुकलन गणित। अनुचित अनुकल। अनुकलों का अभिसरण। बहुल अनुकल, ग्रीन और स्टोक्स के प्रमेय।

माप सिद्धान्त:——लेबिसग्य माप, मापयोग्य कुलक और उनके गुणधर्म। मापयोग्य फलन। परिमित माप के कुलकों पर परिसीमित फलनों का लेजिसग्यू अनुकल। अनुणफलन का अनुकल। सामान्य लेबिसग्यू अनुकल। माप में अभिसरण। फातऊ की प्रमेयिका एक दिष्ट, प्रभावी और परिसीमित अभिसरण प्रमेय। विटाली व्याप्ति-प्रमेय। परिसीमित चरों का प्रसारण। निरपेक्ष सतत फलन। अनुकल कलन का आधारभूत प्रमेय। स्टीलजेस-अनुकलन।

जटिल पदों का फलन:——वैश्लेषिक फलन। कोशी-रीमन समीक जटिल फलनों का समाकलन। कोशी का मूलभूत प्रमेय और समाकलन सूत्र। मोरेरा प्रमेय। टेलर और लारेन्ट——विस्तार। शुन्य और ध्रुव। विचिलनताएं। अवशिष्ट प्रमेय और——उसके उपयोग। तर्कसिद्धान्त। रोशी प्रमेय। अधिकतम मापांक सिद्धान्त और स्वार्ज प्रमेयिका।

द्विधातीय रूपान्तरण। अनुकोण निरूपण।

दूहरे आवर्ती फलन। वायरस्ट्राम फलन जेकोबी के एस० एन०, सी० एन०, और डी० एन० फलन। दीर्घवृत्तीय अनुकल।

21. शुद्ध गणित II

आधुनिक बीजगणित——आव्यूहों और सारणिकों सहित:

समूह और अर्द्ध समूह। समरूपता। रूपांतरण समूह। केले प्रमेय। चक्रीय समूह। क्रमचयं, सम और विषय क्रमचय। सहकुलक समूहों का विघटन। लेगरेज प्रमेय, अचल उपसमूह और गुणांक समूह। समरूपता और स्वरूपता। संयुग्मी तत्व। सामान्य श्रेणियां, मिश्रित श्रेणियां और जोर्डन होल्डर प्रमेय।

वलय:——अनुकल प्रान्त, भाग वलय, क्षेत्र। आव्यूह वलय। चतुष्टय। उप-वलय।

आदर्श:——महिष्ठ, प्रधान और मुख्य आदर्श। अद्वितीय गुणन-खंड प्रान्त। अन्तरवलय पूर्ण संख्यओं का आदर्श और अंतर वलय। फारमेट प्रमेय। वलयों की समरूपता।

क्षेत्र विस्तार——बीजगणितीय और बीजातीत क्षेत्र विस्तार। गलाइस सिद्धान्त के अवयव और अक्षों द्वारा समीकरणों के हल में उसका उपयोग।

सदिश अवकाश क्षेत्र। उप-अवकाश और उनका बीजगणित। एक घातीय स्वातंत्रय, आधार, विस्तार। गुणक-अवकाई। समरूपता और सदिश अवकाश।

एक घातीय समीकरण पद्धति। आव्यूह पद। आव्यूहों का तुल्य संबंध प्रारंभिक आव्यूह, श्रेणी तुल्यांक, तुल्यांक समरूपता।

सदिश अवकाशों पर एक घातीय रूपांतरण, उनकी कोटि और शून्यता। द्वैत अवकाश और द्वैत आधार। एकघातीय, द्विघातीय और चतुष्टयरूप। कोटि और चिह्न। चतुष्टय रूप का विहित रूप में लघुकरण और दो चतुष्टय रूपों का युगपत लघुकरण।

सारणिक फलन, उसका अस्तित्व और अद्वितीयता। सारणिक विस्तार की लाप्लास विधि। दो सारणिकों का गुणनफल। बीनेट-कोशी सूत्र। लक्षण और अल्पिष्ठ बहुपद, प्रथमोत्पन्न मान और प्रथमसर्तिक सदिश। केले-हैमिल्टन प्रमेय। सिल्वेस्टर प्रमेय।

म. त्रिमितीय ज्यामिति: म——त्रिमितीय ज्यामिति के अवयव। दसार्ग का प्रमेय। एकघातीय अवकाशों के स्वातंत्र्य की मात्रा। द्वैतता। समानांतर रेखाएं, दीर्घवृत्तीय, अतिपरवलीय, यूक्लीडियन और प्रक्षेपीय ज्यामितियां। सपाट धरातल (एम-1) के समानान्तर रेखा। म-परिस्परिक लंबकोण रेखाएं। सपाट अवकाशों के बीच का अंतर और कोण।

उत्तल कुलक और उत्तल शंकु। उत्तल आवरण——अतिसमतलों के कृपृथक करने के प्रमेय। तल से प्रतिबंधित बंद उत्तल कुलकों का प्रमेय, जिनके प्रत्येक आलंबी अति-समतलों में चरमबिन्दु होते हैं। चरम बिन्दुओं का उत्तल आवरण। उत्तल बहुतलकंकु। क्षेत्रों के एकघातीय रूपान्तरण।

अवकल ज्यामिति: अवकाश, वक्र, वेष्टन। उन्नेय आधार। वक्र से संबंधित उन्नेय। आधारगत वक्र घातीय निर्देशांक। प्रथम और द्वितीय आधारभूत रूप। सामान्य खंड की वक्रता। वक्राकृति की रेखाएं। संयुग्म विधियां। अनंतस्पर्शी रेखाएं। गौस और कोडाजी के समीकरण। धरातल पर दो बिन्दुओं के बीच की सबसे छोटी रेखा और दो बिन्दुओं के बीच की सबसे छोटी समानान्तर रेखा। रेखित आधार।

22. शुद्ध गणित III

संख्यातम्क विश्लेषण और लवकल समीकरण। परिमित अवकल। अन्तर्वेशन। बहिर्वेशन। प्रतिलोप अन्तर्वेशन। संख्यात्मक अवकल और संख्यात्यक अनुकल। प्रथम श्रेणी के अवकल समीकरणों की उपपत्ति। एकघातीय अवकल समीकरणों के सामान्य गुणधर्म। स्थिर गुणांकों के साथ एकघातीय अवकल समीकरण।

सामान्य अवकलन समीकरणों की उपपत्ति। उपपत्ति शुरू करने और उपपत्ति जारी रखने की विधियां। सम्मिलित एक घातीय समीकरण और उनकी उपपत्ति बहुपद समीकरणों के मूल श्लघन विधि द्वारा सामान्य निर्मेयों की उपपत्ति। नोमोग्राम।

अवकलन समीकरण: डीवाई। डीएक्स-एफ (एक्स, वाई) की उपपत्ति का अस्तितत्व प्रमेय।

प्रथम कोटि के एकघातीय और अघातीय समीकरण। स्थिर गुणांकों के साथ एकघातीय समीकरण। समीप एकघातीय समीकरण। दूसरी कोटि के एक घातीय समीकरण। श्रेणीगत

अनुकलों की फाबिनम विधि। लीजेन्ड्रवेमल और हरमिट समीकरणों की उपपत्ति।

लीजेन्ड्रे और हरमिट बहुपदों और हरमिट फलनों प्रारंभिक गुणधर्म। सम्मिलित एकघातीय समीकरणों की विधियां। तीन तीन पदों के साथ पूर्ण अवकल समीकरण।

आंशिक अवकल समीकरण : पहली और दूसरी कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, लेगरेंज, चारपिट और मोंगे की विधियां। स्थिर गुणांकों के साथ एकघातीय आंशिक अवकल समीकरण। पदों के पृथकरण द्वारा लाप्लास तरंग और विचरण समीकरण की उपपत्ति।

विचरणों का कलन : यत्नर समीकरण के न्यूनतम व्युत्पत्ति की की अनिवार्य शर्तें। हैमिल्टन का सिद्धान्त। हैमिल्टनवादी। समपरिमापी निर्मेय। पद और बिन्दु निर्मेय। अनुकल फलनों का लघुतम। बोल्जा निर्मेय। बहु अनुकल निर्मेय। विचरणों के कलन की प्रत्यक्ष विधियां। द्वितीय विचरण और लघुतम के लिए लीजेन्ड्रे की अनिवार्य शर्तें।

हरात्मक विश्लेषण : फेरियर श्रेणियों द्वारा फलन-प्रदर्शन। डीरिक्ले समाकल। रीमन-लेबिसग्यु प्रमेय। रीमन का स्थानीकरण प्रमेय। फोरियर श्रेणियां (जोर्डन, डिनी एण्ड डे० ला वल्ली प्यासों) के अभिसरण के लिए यथेष्ट शर्तें। फोरियर अनुकल स प्रतिचयन प्रमेय। घात वर्णक्रम। स्वसहसंबंध और अनुप्रस्थ सहसंबंध।

23. प्रयुक्त गणित

स्थैतिकी : असमतलीय बलों में दृढ़ पिंड के साथ का सदिश प्रतिपादन केन्द्रीय अक्ष। आघ्रामी कार्य के सिद्धान्त। स्थिरता। केन्द्रीय-बलों की ज्याएं, सादा और समतली वक्रों पर ज्या का साम्य। लचक ज्या। दंड, डिस्क और बलय के विभव और आकर्षण।

गति-विज्ञान—न्यूटन के गति नियम। डेबलम्बर्ट का सिद्धान्त। रेखिक गति। द्विविस्थारीय गति। प्रतिरोधी माध्यम की गति। ग्रह-गति आवेगी बल और संघट्टन। संवेग और ऊर्जा का सिद्धान्त। म्वातुच्य और निरुद्धता की मात्राएं। समान्यीकृत निर्देशांक। समय-स्वतंत्र प्रणाली का लेंगरेंज समीकरण। यूलर के गतिकीय और ज्यामितीय समीकरण। हैमिल्टन का सिद्धान्त। हैमिल्टन का समीकरण। बहु-पिण्ड का परिचय।

द्रव-गति विज्ञान : यूलर और लेगरेंज के गति समीकरण। स्रोत रेखाएं। आवर्तिता और संचरण तथा आदर्श द्रवों में उनकी स्थिरता।

बरनोली का प्रमेय उसका प्रयोग। सिलिंडरों और बलयों के चतुर्दिक विभव प्रभाव क्लेशियस का प्रमेय और उसका प्रयोग। द्रेवगतिकीय निर्मेयों की उपपत्ति की प्रतिबंध विधियां और अनुकोण रूपांतरण। आवर्त्त-गति के सामान्य गुणधर्म, अद्वितीयता प्रमेय। साद्रं द्रेव। नैवियर-स्टोक्स के समीकरण। समानान्तर दीवारों और सीधे पाइपों में प्रवाह। ओसीन और स्टोक्स के सन्निकटन बलय पूर्व मंद गति।

विद्युत और चुम्बकत्व : कूलोम नियम। चार्जेज। चालक और धारित्र। विद्युत पारक। स्थिर करंट। करेंटों के चुम्बकीय प्रभाव। प्रेरित करंट और क्षेत्र। मेक्सवेल समीकरण। दो माध्यमों के अंत: पृष्ठ की विद्युत चुम्बकीय दशाएं। विद्युत चुम्बकीय विभव, भार और ऊर्जा। पोयंटिंग का प्रमेय। जूल ऊष्मा। प्रत्यावर्ती करेंट। समगुणधर्मी विद्युतपारक में विद्युत-चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परावर्तन और वर्तन। चालित माध्यम तरंग।

ऊष्मागतिकी : ऊष्मा, ताप और एन्ट्रोपी के परिभाषा की संकल्पना। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम। विशिष्ट ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन। वादप दबाव। ऊष्मा चालन। विकिरण। प्लैंक का नियम। स्टीफन का नियम। ऊष्मागतिकी के फलन और विभव। विषम प्रणालियां और गिब्ब का अवस्था नियम।

सांख्यिकीय यांत्रिकी : आकृति अवकाश की ज्यामिति और प्रगतिकी। मैक्सवेल—बोल्जमैन, बोस—आइंस्टीन और फर्मी—डिरक के आंकड़े।

(भाग—ख)

मौखिक परीक्षा

उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जायगा, जिसमें प्रख्यात शिक्षा-शास्त्री भी होंगे। बोर्ड के सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवन-वृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि जिस सेवा या जिन सेवाओं के लिए उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, उसके/उनके लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से वह उपयुक्त है अथवा नहीं। साक्षात्कार उम्मीदवार के सामान्य और विशिष्ट ज्ञान और योग्यता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा को सम्पूर्ण करने के उद्देश्य से लिया जाता है। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ बूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रहीं हैं तथा आधुनिक विचार धाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि लें, जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

साक्षात्कार जटिल परिपृच्छा की प्रक्रिया नहीं है अपितु स्वाभाविक निदेशन और प्रयोजन युक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझाने की शक्ति का उद्घाटन करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता आलोचनात्मक, ग्रहण-शक्ति संतुलित निर्णय की शक्ति और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

खंड—ख

मौखिक परीक्षा

सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का एक बोर्ड उम्मीदवार का इन्टरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत होगा। वह इन्टरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि बोर्ड यह

जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन पत्र दिया, उसके/उनके लिये वह उपयुक्त है या नहीं इन्टरव्यू लिखित परीक्षा के अलावा उम्मीदवारों के सामान्य और विशेष ज्ञान तथा योग्यताओं की जांच करने के प्रयोजन से किया जायेगा। उम्मीदवार से आशा की जाती है कि वह केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ बूझ के साथ रुचि न ले परन्तु वह उन घटनाओं में भी जो उसके चारों ओर और अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचार धाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं।

इन्टरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (क्राम एग्जामीनशन) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का, और समस्याओं के ग्रहण करने की शक्ति का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। उम्मीदवार की बौद्धिक रुचि, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक सत्यानिष्ठा सूनापात्र क्षमता और नेतृत्व की क्षमता की ओर बोर्ड विशेष ध्यान देगा।

परिशिष्ट-3

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्योरा :—

1. जो उम्मीदवार दोनों में से किसी भी सेवा के लिए सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड-1 में परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुदेश तथा परीक्षा पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

3. परख अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थाई नियुक्ति के लिये योग्य नहीं है, तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परख अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाये तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जायेगा।

5. भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निर्धारित वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड-1 निदेशक (डाइरेक्टर) रु० 1300-60-1600-100-1800।

ग्रेड-2 संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट डाइरेक्टर)—रु० 1100-50-1400।

ग्रेड-3 उप-निदेशक (डिप्टी डाइरेक्टर)—रु० 700-40-1100-50/8-1250।

ग्रेड-4 सहायक निदेशक (असिस्टेन्ट डाइरेक्टर) रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० मे०-35-950।

6. सेवा के उच्च पदों में पदोन्नति, प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार उम्मीदवारों की प्रवरणता को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर की जायेगी। ये कोटा ग्रेड-3 के लिये 75 प्रतिशत, ग्रेड-2 के लिये 50 प्रतिशत और ग्रेड-1 के लिये 75 प्रतिशत है।

7. भारतीय अर्थसेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, अथवा इनको निश्चित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

8. दोनों सेवाओं के अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारत सरकार के मूल नियम (फंडामेन्टल रूल्स) और सिविल सेवा विनियम (सिविल सर्विस रेगुलेशनस) में दी गई हैं और जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन हो सकता है।

9. समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम (जनरल प्राविडेंट फंड—सेन्ट्रल सर्विसेज रूल्स) के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अपेक्षित स्तर का है या नहीं। ये विनियम मेडिकल परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिये भी हैं और जो उम्मीदवार इन विनियमों में नियत की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, उसको मेडीकल परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते। किन्तु जब मेडिकल बोर्ड की यह राय हो कि उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित स्तर के अनुसार स्वस्थ नहीं है, तो भी मेडिकल बोर्ड की यह अनुमति है कि वह भारत सरकार को विशेषकर लिखे हुए कारणों से सिफारिश कर सकता है कि उसको सरकार को हानि बिना नौकरी में लिया जा सकता है।

परन्तु यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अपने निर्णय में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखती है।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु कद और छाती के घेर में परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा।

3. **उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :**

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दण्ड (स्टेंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। यह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप-दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ दि हेड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाये। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जायेगा।

4. **उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :**

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीने को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़ समतल (हॉरिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ ढीला लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटिमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89,86-93 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय एक सेंटिमीटर से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा।

(ख) चश्में के बिना नज़र (नेकेड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा उसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

(ग) चश्में के साथ और चश्में के बिना दूर और नज़दीक की नज़र की निम्नलिखित मानक निर्धारित किया जाता है :

दूर की नज़र अच्छी आंख/खराब आंख (संशोधित दृष्टि)		नज़दीक की नज़र अच्छी आंख/खराब आंख (संशोधित दृष्टि)	
6/9	6/9		
अथवा		जे० I	जे० II
6/9	6/12		

(घ) अयोग्यता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। व्याधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) **दृष्टि क्षेत्र** :—सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि-क्षेत्र को परिभाषी (परा मीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतोंधी (नाइट ब्लाइंडनेस) साधारणतया रतोंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन 'ए०' की कमी होने के कारण और रेटीना के व्यावहारिक रोग के कारण रेटीनीटस पिगमेन्टोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए०' के खाने से ठीक हो जाता है, ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेष तथा जब फंडस खराब नहीं हो तो इलेक्ट्रो-रेटानोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण चैकित्सिक जांच के लिए समय नहीं होता। तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को

चाहिए कि वे बताएं कि रंगोधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर होगा कि पद से सम्बन्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन्स):—

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव ऐरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) भेंगापन (स्किवंट) :—तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) एक आंख वाले व्यक्ति :—स्वास्थय परीक्षा बोर्ड ऐसे एक आंख वाले व्यक्तियों की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है जिसके लिए उसे संतोष है कि वह सब कार्यों को कर सकता है जिस विशेष नौकरी के लिए वह उम्मीदवार है, यद्यपि उसकी काम करने वाली आंख की दृष्टि की पकड़ 6/6 दूर की नजर के लिए और 0.6 नजदीक की नजर के लिए हो और वर्तनत्रुटि (रिफ्रेक्टिव ऐरर) 4-00 डी० से कम या अधिक न हो और काम करने वाली आंख के बुद्यनों को असामान्यता प्रकट न करनी चाहिए। दृष्टि पकड़ के स्तर में यह छूट केवल एक आंख वाले व्यक्तियों की अशक्तता को ध्यान में रखते हुए दी जायेगी न कि द्विनेत्रों की नजर वाले व्यक्तियों को।

(म) कोन्टेक्ट लेंस (contact lenses)—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 15 पादवर्ती (फुट केन्डलस) से प्रकाशित हों।

7. ब्लडप्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा।

नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों का औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु सम्मिलित करें। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से सिस्टालिक प्रेशर को और 90 के ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध समझ लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य होने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि वह उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत हृद लेखी (इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः भारेवाली दाबमानी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए। ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रचंड धमनी (ब्रैकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हलकी क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हलकी दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लडप्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभ कर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस 'साइलेंटगेप' से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब

मैडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज़) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज़ मेह (ग्लाइकोसूरिआ) के सिवाए, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज़ मेह अमधुमेही (नान-डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मैडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शूगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी बिल निकले या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक इसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए । गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए ।

10. **निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिये :**

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं । यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया, आपरेशन या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और सभी संधियां भली-भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) उसे कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों (केसेज़) में नेमी रूप से छाती की पटेक्षण (स्क्रीनिंग) की जानी चाहिए, जहां आवश्यक समझा जाए, एक छायाचित्र (स्काय ग्राम) लिया जाना चाहिए ।

जब कोई दोष मिले तो इसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मैडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

12. जहां तक मिली-जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, उनके लिए ऊपर पैरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्याविधि लागू नहीं होती । इस परीक्षा के उम्मीदवारों को अपील की शुल्क 50 रुपए भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है । यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किए जाएंगे । शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जाएगी । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और उसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मैडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग-अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली

इनफर्मिटी) नहीं जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि वर्तमान से है और मैडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर-कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में साधारणतया तीन सदस्य होंगे (i) एक चिकित्सक (ii) एक शल्य चिकित्सक और (iii) एक नेत्र-चिकित्सक। ये सभी यथा सम्भव साध्य समान स्तर के होने चाहिए। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी महिला चिकित्सक (लेडी डाक्टर) को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय आर्थिक सेवा (इंडियन इकानोमिक सर्विस) भारतीय सांख्यिकीय सेवा (इंडियन स्टेटिस्टीकल सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के बारे में मैडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डेक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें .....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं .....
.....

2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जाति आदि से सम्बन्धित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ता हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक कार्य या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।

1	2
यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण
3	4
आपके कितने भाई जीवित हैं,	आपके कितने भाइयों की,

उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण ।

7. क्या इसके पहले किसी मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? .....
.....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? .....
.....
.....

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? .....

10. कब और कहां मैडिकल बोर्ड हुआ ? .....
.....

11. मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो । .....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए ।

बोर्ड के चेयरमन के हस्ताक्षर .....

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जान-बूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो आर्धवय निवृत्ति भत्ता (सुपरऐन्युएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) .....की शारीरिक परीक्षा की ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

सामान्य विकास अच्छा साधरण
निम्न

पोषण:—पतला ..... औसत .....
..... मोटा .....
कद (जूते उतार कर) .....
वजन .....
अत्युत्तम वजन ..... कब था ? .....
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन .....
तापमान .....

छाती का घेर—

(1) पूरा सांस खींचने पर .....
(2) पूरा सांस निकालने पर .....

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी .....

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी .....
(2) रतौंधी .....
(3) कलर विज़न का दोष .....
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विज़न) .....
(5) दृष्टि की पकड़ (विज़ुअल एक्विटी) .....
.....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे की पावर से		
		गोल	सिलि०	अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान : निरीक्षण ..... सुनना :
दायां कान .....
बायां कान .....

5. गंथियां .....
थाहराइड .....

6. दांतों की हालत .....

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पूरा ब्यौरा है ।

8. परिसंचय-रण (सेक्युलरटी सिस्टम)
(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गानिक लीजन)
गति (रेट) :
खड़े होने पर :
25 बार कुदाए जाने के बाद .....
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद .....
(ख) ब्लड प्रेशर ..... सिस्टालिक
..... डायस्थालिक .....

9. उदर (पेट) : घेर .....
दाब वेदना (टेंडरनेस) हार्निया .....
(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर .....
तिल्ली ..... गुर्दे .....
ट्यूमर .....

(ख) बवासीर के मस्से .....
फिस्तुला .....

10. **सांत्रिक तंत्र** (नर्वस सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता .....

12. जनन-मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम)।
हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ।

(ख) स्पैसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गरुत्व)

(ग) इल्ब्युमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट (सैल्स)

13. छाती का पटेशण (स्क्रीनिंग) एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ?

15. (i) क्या वह भारतीय लघु सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा में दक्षतापूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है ।

(ii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ।

नोट :—बोर्ड को अपना जांच-परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण ...
.....

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण
.....

स्थान .....

अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) .....

तारीख .....

सदस्य .....

सदस्य .....

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 1970

सं० 8/72/69-के० से० II—दिसम्बर, 1970 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

2. प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जायेगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार के निश्चय के अनुसार किये जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेशों आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति । अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति ।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायगी, इस का निर्धारण आयोग करेगा ।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किया गया ऐसा कोई भी अस्थायी निम्नश्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जो 1 जुलाई, 1970 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो :—

(1) **सेवावधि**—जिस व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों में कम से कम पांच वर्ष की स्वीकृत तथा लगातार सेवा हो:—

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का निम्न श्रेणी ग्रेड, या

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा ग्रेड जिसका न्यूनतम और अधिकतम वेतन-मान 1 जुलाई, 1959 से पहले क्रमशः 55 तथा 130 रुपये से कम न रहा हो और 1 जुलाई, 1959 को या उस के पश्चात् क्रमशः 110 और 180 रु० से कम न रहा हो ।

टिप्पणी–I : स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंततः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उपरोक्त (क) तथा (ख) में वर्णित कहीं और की गई हो ।

टिप्पणी–II : केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक, जिसने 26अ क्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्टूबर

1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा।

(2) (क) **आयु:**—उसे 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात् 1 जुलाई, 1930 से पहले उसका जन्म न हुआ हो।

टिप्पण : 40 वर्ष की आयु सीमा केवल 1970 में होने वाली परीक्षा पर ही लागू होगी। इसके पश्चात् आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक के मामले में जिसने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में, अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो और वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक की छूट दी जायेगी।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा में माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 को भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय भूल का व्यक्ति हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक; और

(xii) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायेगी।

(3) **टाइपकारी परीक्षा** :—यदि किसी उम्मीदवार को निम्न श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल की टाइपकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइपकारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिये।

(4) ऐसे किसी उम्मीदवार को इस परीक्षा में तीन बार से अधिक भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी अनुसूचित

जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो, या गोवा, दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या केन्या, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणतंत्र (भूतपूर्व टागानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित न हुआ हो। यह प्रतिबन्ध 1969 में हुई परीक्षा से लागू है।

टिप्पणी (1) : यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः परीक्षा के किसी एक या अधिक विषयों में भाग लेगा तो उसे परीक्षा में भाग लिया हुआ समझा जाएगा।

टिप्पणी (2) : ऐसे नियम श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायगा।

तथापित यह बात उन निम्न श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो "स्थानान्तरित" रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार (लियन) न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडिमिशन) न हो।

7. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये हैं या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें कोई हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्व-पूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम में लाने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोजीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए, आयोग, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए, उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में शामिल होने से रोक सकता है ?

(ख) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए आयोग्य करार दिया जायगा।

9. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञप्ति के अनुलग्नक-I में निर्धारित शुल्क (फी) देना होगा।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को जो आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखते हुए उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उसे उक्त सूची में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों तक शामिल करने के लिए आयोग सिफारिश करेगा।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गये उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाय।

11. हर एक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपयुक्त है।

13. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या जो किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि, यह उस निम्न श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

पी० एल० गुप्ता, उप सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग I—नीचे परिच्छेद -2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा ।

भाग II—आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा-वृत्तों (रेकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन, जिनके बारे में वह फैसला करेगा और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे ।

2. भाग–I : में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए नियत अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
(i) निबन्ध तथा सार लेखन		
(क) निबन्ध .	50 } 100	2 घंटे
(ख) सार लेखन .	50 }	
(ii) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति .	100	2 घंटे
(iii) सामान्य ज्ञान . .	100	2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण संलग्न अनुसूची में दिये अनुसार होगा ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (i) के भाग (क) अथवा प्रश्न पत्र (iii) अथवा इन दोनों के उत्तर या तो हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प है । प्रश्न पत्र (i) के भाग (ख) तथा प्रश्न पत्र (ii) के उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में लिखने होंगे ।

टिप्पणी 1 :—यह विकल्प पूरे [प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र (i) की स्थिति भाग (क)] के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी 2 :—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के खाना 7 में स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जायगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायगी ।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है ।

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
I. O. D
1089

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जायगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य-विवरण

निबंध तथा सार लेखन

(क) निबन्ध-विहित कई विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

(ख) सार-लेखन—संक्षेप/सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिये जायेंगे ।

(2) **टिप्पणी व आलेखन तथा कार्यालय पद्धति** :—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है । उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए वे "कार्यालय पद्धति की नियम-पुस्तक "(मैन्वल आफ आफिस प्रोसीजर)" तथा "रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजीनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा" पढ़ें ।

(3) **सामान्य ज्ञान** :—सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का उद्देश्य भारतीय भूगोल तथा देश का प्रशासन, और सामयिक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में उम्मीदवारों का ज्ञान जांचना होगा ।

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 1970

संकल्प

सं० 1/52/67-एम० तथा एफ०—अभ्रक सलाहकार समिति के संघटन में, दिनांक 6 अप्रैल 1970 के समसंख्यक संकल्प में विद्यमान प्रविष्टि :—

12. श्री आर० एन० मुखर्जी सचिव

के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

12. श्री के० एल० माथुर, सदस्य सचिव
अवर सचिव,
विदेशी व्यापार मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसे सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० के० समाल, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1970

सं० 47(2)/69-एस० ई० आई० (जी०)—औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक

विकास विभाग) के संकल्प सं० 47 (2)/69-एल०ई०आई०(बी०) दिनांक 17 अप्रैल 1969 में आंशिक संशोधन करते हुए जो वातानुकूल तथा प्रशीतन उद्योग के लिए नामिका गठित करने के सम्बन्ध में है, तथा जो संकल्प सं० 47(2)/69-एल०ई०आई०(बी०) दिनांक 23 जून 1969, सं० 47(2)/69-एल०ई०आई०(बी०) दिनांक 20 सितम्बर 1969, सं० 47(2)/69-एल०ई०आई०(बी०) 20 नवम्बर 1969 और सं० 47(2)/69-एल०ई०आई०(बी०) दिनांक 18 मार्च 1970 द्वारा संशोधित किया गया है उस नामिका में तत्काल निम्नलिखित अग्रेतर परिवर्तन किया जा रहा है :

"संकल्प में क्रम स० 5 पर दिए गए नाम श्री जे० बी० जकेतिया, उप-निदेश विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली **के स्थान पर** श्री बी० मजूमदार, उप-निदेशक (बैद्युत), विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली, **पढ़ा जाए** ।"

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सी० बालसुब्रामनियम, संयुक्त सचिव

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय
(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1970

संकल्प

सं० 1/78/69-पी०पी०डी०—तेल मूल्य समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों के 11 मई 1970 के इसी संख्या के संकल्प के पैरा 2·3 (ग) का आंशिक संशोधन करते हुए, सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1-7-1970 से बिटूमैन ग्रेडों पर भी 10 रुपए प्रति म०ट० की दर से सरचार्ज की उगाही की जाएगी और बिटूमैन ग्रेडों पर भाड़े की कम प्राप्तियों की प्रतिपूर्ति भी 1-7-1970 से फ्रेट सरचार्ज पूल से की जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों संघ-शासित क्षेत्रीय प्रशासनों, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

माधव राजवाड़े, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जून 1970

सं० 14/4/65-सी० 5 (सी०ए०/1-2)—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 14-4/65-सी० 5 (सी० ए०/1-2) दिनांक 21 जनवरी 1970 के क्रम में निम्नलिखित सदस्य भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग के तदनुरूप सदस्य नियुक्त किए जाते हैं :

1. डा० डोमिंगो अबेला,
   निदेशक,
   राष्ट्रीय अभिलेखागार,
   मनीला ।
2. डा० लेअन छाजन,
   महानिदेशक,
   राज्य अभिलेखागार,
   वारसा,
   पोलैण्ड ।

इनकी नियुक्ति की अवधि वर्तमान रूप से 3 अप्रैल 1971 तक होगी ।

दिनांक 10 जून 1970

सं० 22-1/69-सी० ए०1(2)—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 14/3/65-सी०-5 दिनांक 11 अप्रैल 1966 में आंशिक आशोधन करते हुए डा० ए० अप्पादोराई, 8, सेन्ट्रल लेन, नई दिल्ली-1, को डा० पी०सी० चक्रवर्ती जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड परिषद को साधारण सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

2. नियुक्ति इस समय 3 अप्रैल 1971 तक के लिए होगी ।

आ० सा० तलवार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1970

सं० 14(3)/69-एस०आर०—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नई दिल्ली के निदेशक के पद से दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लि०, दिल्ली के डा० जे०एन० थडानी का त्यागपत्र सहर्ष स्वीकार करते हैं ।

हरि कृष्ण लाल चड्ढा, अवर सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 1970

सं० 17/152/68-भा०ब्या०—यतः विभाजन से पूर्व के वास्तविक समुपयोजन के अलावा रावी-ब्यास के फालतू पानी के विकास और समुयोजन से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौता 1955 के संघर्ष में ब्यास परियोजना की लागत के आबंटन के प्रश्न पर 23 नवम्बर 1962 को हुई भूतपूर्व ब्यास नियंत्रण बोर्ड की तीसरी बैठक में विचार किया गया था और उस बैठक में लिए गए निर्णयों की परिपाजना में डा० ए०एन० खोसला से कहा गया था कि वह राजस्थान द्वारा उठाए गए प्रश्नों की जांच करके ब्यास परियोजना की लागत के आबंटन के सम्बन्ध में सिफारिशें करें;

और यतः सिफारिशों की प्राप्ति के प्रश्न को लंबित रखते हुए, ब्यास नियंत्रण बोर्ड ने 31-12-1963 को हुई अपनी बैठक में कुल लागत के निम्नलिखित तदर्थ प्रतिशतांशों को भूतपूर्व पंजाब और राजस्थान के भागों के रूप में अपनाया;

	भूतपूर्व पंजाब	राजस्थान
यूनिट एक . .	85%	15%
यूनिट दो . .	32%	68%

और यत: डा० खोसला द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् सहभारी राज्य सरकारों की उनके सम्बन्ध में राय मांगी गई थी;

और यत: सिंचाई व बिजली मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1970 को हुई व्यास नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में भी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि भी आए थे, यह विषय विचार के लिए आया था और निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :

"इस प्रश्न पर और आगे विचार-विमर्श करने के परिणाम-स्वरूप, और जैसा कि पंजाब के प्रतिनिधि भी सहमत थे, बोर्ड ने यह निर्णय किया कि केन्द्रीय सरकार से कहा जाए कि वह इस सम्बन्ध में पंजाब के उन विचारों को जो पंजाब सरकार द्वारा सिंचाई व बिजली मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं, पूरा-पूरा ध्यान में रखते हुए डा० खोसला की सिफारिशों के आधार पर व्यास परियोजना की लागत में हिस्सेदार राज्यों के भागों को अन्तिम रूप से निश्चित कर दे ।"

अब अत: डा० खोसला की सिफारिशों पर पंजाब सरकार से प्राप्त हो चुके विचारों पर पूरा-पूरा विचार करने और खोसला की अतिरिक्त सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किया है :

(क) व्यास परियोजना के यूनिट एक और दो की लागत का आबंटन (हरियाणा समेत) भूतपूर्व पंजाब राज्य और राजस्थान के बीच निम्नलिखित अनुपात से किया जाएगा :

	पंजाब (भूतपूर्व)	राजस्थान
यूनिट एक		
(सिंचाई भाग) .	85%	15%
(बिजली भाग) .	80%	20%
यूनिट दो		
(सिंचाई व बिजली दोनों अंग) . .	41·5%	58·5%

(ख) जहां तक पंजाब और हरियाणा के बीच लागत के बटवारे का सम्बन्ध है 60 : 40 का वर्तमान तदर्थ अनुपात उस समय तक कायम रहेगा जब तक कि अन्तिम रूप से सम्मत अनुपात का निर्णय नहीं हो जाता

(ग) बाद में जब रावी पर जल संचय का कार्य आरम्भ होगा, व्यास परियोजना की लागत के साथ इसकी लागत का आबंटन हिस्सेदार राज्यों के बीच किया जाएगा ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम में

वी०वी० चारि, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 4th July 1970

No. 32/11/70-*Estt.*(*E*).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in January, 1971 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the following Services are published for general information :

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the

commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however, require certificate of eligibility in the usual way.

A candidate in whose caste a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. (a) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 26 years on 1st January, 1971, i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1945, and not later than 1st January, 1950.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon also and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. (a) A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I.

(b) A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I or possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

Note II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva voce*.

14. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. In the case of candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

17. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for viva voce by the Commission may be required to undergo physical examination.

Note.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

19. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix III.

M. R. BHARDWAJ,
Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 6)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon,

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College),

The National University of Dublin,

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab,

The Dacca University,

The University of Sind,

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Indian Statistical Service only [vide Rule 6(b)].

(i) Statisticians Diploma of the Indian Statistical Institute, Calcutta.

(ii) Professional Statisticians Certificate of the Institute of Agricultural Research Statistics, ICAR, New Delhi.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination for the Indian Economic Service and the Indian Statistical Service comprises :—

(I) Written Examination in—

(i) compulsory subjects as set out in Sub-Sections (A) (a) and (B) (a) respectively of Section II below, carrying a maximum of 700 marks.

(ii) A selection from the optional subjects set out in Sub-Sections (A)(b) and (B)(b) respectively of Section II below. Subject to the provisions of those Sub-Sections, candidates may take optional subjects up to a total of 400 marks for each Service,

(II) Viva-voce (vide Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

SECTION II

Examination Subjects

(A) The Indian Economic Service

(a) Compulsory subjects [vide Sub-Section (I)(i) of Section I above].

	Maximum Marks
(1) General English ..	150
(2) General Knowledge ..	150
(3) Economics I ..	200
(4) Economics II ..	200

(b) Optional subjects [vide Sub-Section (I)(ii) of Section I above].

	Maximum Marks
(1) Comparative Economic Development ..	200
(2) Money and Public Finance ..	200
(3) Rural Economics and Co-operation ..	200
(4) International Economics ..	200
(5) Statistics I ..	200
(6) Statistics II ..	200
(7) Mathematical Economics and Econometrics ..	200
(8) Sample Surveys ..	200
(9) Industrial Economics ..	200
(10) Theory and Practice of Trade ..	200
(11) Business Finance and Accounts ..	200

(12) Business Management and Commercial Law.	..	200

Provided that no candidate shall be allowed to offer both "International Economics" (4) and "Theory and Practice of Trade" (10).

*In this subject there will be separate papers on each of the following five branches, viz., (i) Industrial Statistics, (ii) Economic Statistics (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

(B) The Indian Statistical Service

(a) Compulsory Subjects [vide Sub-section (I)(i) of Section I above].

		Maximum Marks
(1) General English	..	150
(2) General Knowledge	..	150
(3) Statistics I	..	200
*(4) Statistics II	..	200

(b) Optional subjects [vide Sub-Section (I) (ii) of Section I above].

		Maximum Marks
(1) Advanced Probability and Stochastic Process	..	200
(2) Statistical Inference	..	200
(3) Design of Experiments	..	200
(4) Sample Surveys	..	200
(5) Economics I	..	200
(6) Economics II	..	200
(7) Mathematical Economics and Econometrics	..	200
(8) Comparative Economic Development	..	200
(9) Pure Mathematics I	..	200
(10) Pure Mathematics II	..	200
(11) Pure Mathematics III	..	200
(12) Applied Mathematics	..	200

*In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, viz., (i) Industrial Statistics, (ii) Economics Statistics, (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

NOTE.—The standard and syllabi of the subjects mentioned in this Section are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. There will be one paper of three hours duration in each of the subjects referred to in Section II above, except in the subject Statistics II. In Statistics II, there will be five papers, each of 1½ hours' duration vide Note under this subject at item 6 of Part A of the Schedule to this Appendix.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Economic Service, the papers in the optional subjects and in the following compulsory subjects, viz., General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following compulsory subjects, viz., Economics I and Economics II.

For the Indian Statistical Service, the papers in the optional subjects and in the following compulsory subjects, viz., General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following compulsory subjects, viz., Statistics I and Statistics II.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in English and General Knowledge will be such may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected, to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

1. General English.—

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

2. General Knowledge—

The paper will consist of two parts :

In the first part candidates will be required to answer questions designed to test their knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. Questions may also be set on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

In the second part candidates will be required to answer questions designed to test their ability to deal with facts and figures and to make logical deductions therefrom, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important.

3. Economics I.—

Scope and methodology.

Equilibrium analysis.

Theory of consumers' demand. Indifference curve analysis. Revealed preference approach. Consumer's surplus.

Theory of production. Factors of production. Production functions. Laws of returns. Equilibrium of the firm and the industry.

Pricing under various forms of market organisation. Pricing in a socialist economy. Pricing in a mixed economy.

Public utilities : economic characteristics of public utilities; price determination in public utilities; regulation of public utilities.

Theory of distribution. Pricing of factors of production. Theories of rent, wages, interest and profit. Macrodistribution theory. Share of wages in national income. Profits and economic progress. Inequalities in income distribution.

Theory of employment and output—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post-Keynesian developments.

Economic fluctuations. Theories of business cycle. Fiscal and monetary policies for control of business cycles.

Welfare economics : scope of welfare economics; classical and neo-classical approaches; New welfare economics and the compensation principles; optimum conditions; policy implications.

4. Economics II.—

Concept of economic growth and its measurement.

Social accounts; national income accounts; flow of funds; accounts; input-output accounting.

Social institutions and economic growth. Characteristics and problems of developing economies.

Population growth and economic development.

Theories of growth. Growth models.

Planning—Concept and methods. Planning under Capitalist and Socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional planning Investment criteria and choice of techniques; Cost-benefit analysis. Planning models.

Planning in India. Evolution of Planning. Five Year Plans. Objectives and techniques. Problems of resource mobilization, administration and public co-operation. Role of monetary and fiscal policies; price policy, controls and market mechanism. Trade policy and Balance of payments. Role of public enterprises.

5. Statistics I.—

Different types of numerical approximations; finite differences, standard interpolation formulae and their accuracies; inverse interpolation. Numerical methods of differentiation and integration.

Definition of probability. Classical approach, axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Conditional probability. Independent events. Baye's formula, Random variables : probability distributions; Mathematical expectation. Moment generating functions and characteristic functions. Inversion theorem. Tchebychev's inequality. Conditional distributions. Laws of large numbers and central limit theorems.

Standard distributions : Binomial, Poisson, Normal Rectangular, Exponential, Negative binomial, Hypergeometric. Cauchy, Laplace, Beta and Gamma distributions. Bivariate and Multivariate normal distributions.

Large and small sample theory : Asymptotic sampling distributions and large sample tests. Standard sampling distributions such as t x^2, F, and tests of significance based on them. Association and analysis of contingency tables.

Correlation coefficient and its distribution; Fisher's 'Z' transformation. Regression : linear and polynomial; multiple regression—partial and multiple correlation coefficients including their distributions in null cases. Intra class correlation. Curve fitting and orthogonal polynomials.

Analysis of variance. Theory of linear estimation. Two-way classification with interaction. Analysis of covariance. Basic principles of design of experiments. Layout and analysis of common designs such as randomised blocks, Latin square Factorial experiments and confounding. Missng plot techniques.

Sampling techniques : Simple random sampling with and without replacement. Stratified sampling. Ratio and regression estimates. Cluster sampling, multistage sampling and systematic sampling. Non-sampling errors.

Estimation : Basic concepts. Characteristics of a good estimate. Point and interval estimates. Maximum likelihood estimates and their properties.

Tests of hypotheses. Statistical hypotheses : Simple and composite. Concept of a statistical test. Two kinds of error. Power function. Likelihood ratio tests. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds.

Common non-parametric tests such as sign test, median test and run test. Wald's sequential probability ratio test for testing a simple hypothesis against a simple alternative. OC & ASN functions and their approximations.

6. Statistics II.—

NOTE :—In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.* (i) Industrial Statistics, (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics, and (v) Demography and Vital Statistics.

Candidates offering this subject, whether as a compulsory or as an optional subject, are required to choose any *two* of the above papers, which they must indicate in their applications. No change in the selection of papers once made will be allowed.

(i) *Industrial Statistics (including Statistical Quality Control).*

Theoretical basis of quality control in industry, Tolerance limits. Different kinds of control charts—X, R charts, p and c charts, group control charts.

Acceptance sampling. Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Sampling by attributes and by variables. Use of Dodge-Roming and other tables.

Design of industrial experimentation. Use of regression techniques and analysis of variance techniques in industry.

Applications of Operational research techniques including linear programming in industry.

(ii) *Economic Statistics*

Index numbers of prices and quantities. Different types of index numbers *e.g.* index numbers of wholesale prices and cost of living index numbers. Theory of index numbers.

Income distributions. Pareto and other curves. Concentration curves and their uses.

National Income. Different sectors of national income. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Problems of regional income estimates. Inter-industry table. Applications of input-output analysis and linear programming.

Analysis and interpretation of economic time series. The four comuonents of an economic time series. Multiplicative and additive models. Trend determination by curve fitting and by moving average method. Determination of constant and moving seasonal indices. Auto-correlation, periodogram analysis, tests of randomness.

Theory of consumption and demand, demand function. elasticities of demand, statistical analysis of demand with the help of time series and family budget data.

(iii) *Educational Statistics (including Psychometry)*

Scaling of test items. Scores, standard scores, normal scores. T and C scales, stanine scale, percentile scale.

Mental tests. Reliability and validity of tests. Different methods for computing reliability. Index of reliability. Procedures for determining validity. Validation of a test battery. Speed versus power tests.

Factor Analysis. Item analysis. Use of correlation methods in aptitude tests.

Measurement of learning and forgetting. Learning models. Attitude and opinion measurement. Measurements of group behaviour.

(iv) *Genetical Statistics*

Physical basis of heredity. Mendel's laws. Linkage. Analysis of segregation, detection and estimation of linkage.

Polygenic inheritance. Components of phenotypic variation. Estimation of heritability. Selection. Basis of selection. Progeny testing. Selection for combination of characters.

Population genetics. Gene frequency. Inbreeding. Random mating. Linkage disequilibrium.

Elements of human genetics. Sudy of blood groups, disease traits and aberrations.

(v) *Demography and Vital Statistics*

The life table; its construction and properties; Makeham's and Compertz curves. Derivation of annual and central rates of mortality. National life tables, U.N. model life tables. Abridged life tables. Stable population. Stationary population

Crude fertility rates, specific fertility rates, gross and net reproduction rates; family size; crude mortality rate, infant mortality rates; Mortality by cause of death; Standardised rates.

Internal and international migration; net migration; backward and forward survivorship ratio methods.

Demographic transition; Social and economic determinants of population.

Population projections. Mathematical and Component methods. Logistic curve fitting.

7. *Comparative Economic Development*

A comparative and historical study of modern economic development under different social systems with special reference to India, Japan, France, U.K., USA and USSR. The candidates will be expected to make a critical appraisal of the historical evolution and operational features of the various types of economies, e.g., market-oriented free enterprize economy, centrally planned economy, and their variations, particularly from the point of view of the lessons that they have for developing economies.

8. *Money and Public Finance*

Nature and functions of money. Value of money. Money, output and prices. The multiplier and the process of income generation. Trade cycles and price movements. Inflation.

Objectives and mechanism of monetary policy. Bank rate and open market operations. Central Bank techniques: general and selective credit controls. Monetary policy in a developing economy. Money and capital markets in developed and developing economies. Organisation of the Indian money market.

Public finance: nature, scope, importance and objectives.

Theory of taxation: effects and incidence of taxation. Taxable capacity and double taxation. Effects and importance of public expenditure. Fiscal policy for full employment and economic development. Deficit financing. Revenue from public enterprises.

Theory of public debt. Internal and foreign loans; debt management.

Theory of federal finance.

9. *Rural Economics and Co-operation*

Role of agriculture in economic development.

Agricultural production and resource use, production functions, returns to scale; cost and supply curves; factor combination and selection of techniques under uncertainty. Crop planning.

Factor markets: Land market, land value and rent, Labour market, wages and employment, unemployment and underemployment. Capital market, savings and capital formation.

Commodity demands; demand for food.

International trade in agricultural commodities—prices, tariffs, commodity agreements. International programmes for agricultural development.

Problems of Indian rural economy. Agricultural holdings, Land utilisation Cropping pattern. Problems of agricultural inputs, Land tenure reforms. Community development and Panchayati Raj. Agricultural Labour. Subsidiary occupations and rural industries. Rural indebtedness. Agricultural credit. Agricultural marketing and price spread. Commodity demands and demand for food. Price support and stabilisation. Taxation of agricultural land and income. Growth rate in Indian agriculture under planning.

Agriculture in Five Year Plans. Major programmes of agricultural development.

Co-operation: Principles, origin and development. Comparative study of co-operation in India and abroad. Structure, Organisation and working of various types of co-operative institutions in India. Role of these institutions in the rural economy. The State and the co-operative movement. Role of the Reserve Bank of India.

10. *International Economics*

International trade. Theories of international trade. Gains from trade. Terms of trade. Trade policy. International trade and economic development. Theory of tariffs. Quantitative trade restrictions. Customs unions. Free trade areas. European Common Market.

Balance of payments. Disequilibrium in balance payments. Mechanism of adjustments. Foreign trade multiplier. Exchange rates. Import and exchange controls. Trade agreements. Key currency standard. External and internal balance.

International institutions. International liquidity and I.M.F. International monetary reforms. Secular trends in terms of trade of developing countries. Export instability and stabilisation of commodity prices. G.A.T.T. Movements of international capital, private and public. International aid for economic growth. I.B.R.D. and its affiliates. Asian Development Bank.

11. *Mathematical Economics and Econometrics*

Role of mathematics & statistics in economics: Measurement in economics. Role of mathematics in economics. Statiscal methods and techniques of inference in measuring economic relationships.

Demand analysis: General theory and measurement of demand; dynamic and static demand functions. Interrelated demand and supply functions under conditions of planning methods of estimation of demand and supply relationships. Demand projections and short term outlook for prices and demand.

Production functions: Concept of production and transformation functions; methods of fitting production functions; mathematical methods of production planning and control.

Linear programming: Activity analysis; linear programming and its applications. Input-output analysis; elements of game theory—their application in economic planning.

Mathematical models of Keynesian and classical economics: Concept of multiplier; acceleration principle. Equilibrium analysis; equilibrium of the consumer, stability conditions, effect on demand of increases in income and prices, complements and substitutes. Market demand: equilibrium of exchange, equilibrium of the firm. Equilibrium of production and exchange in the economy, generalized law of demand and supply.

Concept of structure and model: Different concepts of structure—distinction between structure and model. Estimation of parameters in single equation and simultaneous equation models.

Planning models: Different types of growth models, capital output ratios and their use in economic planning. Planning models. Long term projections and perspective; short term economic forecasting.

12. *Sample Surveys*

Place of sampling in census and survey work. Concept of frame and sampling unit.

Sampling techniques: Random sampling, stratified sampling, choice of strata, multistage sampling, cluster sampling, systematic sampling, double sampling, variable sampling fraction sampling with probability proportional to size, multiphase sampling, inverse sampling.

Estimation procedures: Estimates of population total and mean; bias in estimates; standard error of estimates. Ratio, regression and product estimates.

Optimum designs: Cost and variance functions. Use of pilot surveys. Optimum size and structure of sampling units. Optimum allocation in stratified, multiphase and multistage designs. Optimum replacement fraction in repetitive surveys.

Non-sampling errors and their control, theory of non-response, inter-penetrating samples.

Design and organisation of pilot and large scale sample surveys. Operational procedures for drawing samples; use of random sampling numbers; various methods of drawing p p s samples. Procedures for collection and tabulation of data. Analysis of survey data and preparation of reports.

13. *Industrial Economics*

Industry. Structure of competitive industry. Theory of the size of an industrial unit. Theory of industrial location. Regional development of industry. Industrial integration. Combination and monopoly.

Problems of industrial production. Productivity—concept and measurement. Techniques of raising productivity. Cost structure and pricing policies.

Structure of Indian industry—size, location, integration and regional balance.

Problems of Indian Industry—finance; inputs; utilisation of capacity. Industrial policy. Private and public sectors. Industrial licensing. Foreign capital and technical collaboration.

Problems of public enterprises—organisation, management, control and accountability.

Problems of small scale industries and Industrial Estates.

Labour and economic development. Labour productivity and incentives. Industrial relations in India. Organisation and structure of trade unions. Trade Unions and the State. Settlement of industrial disputes. Minimum and fair wages. State regulation of wages and working conditions. Labour welfare.

14. *Theory and Practice of Trade*

Marketing. The concept of marketing; characteristics of a market. Marketing functions: marketing process, concentration and dispersion, buying, selling, transportation, storage, grading and finance. Customer behaviour and decision. Marketing information and research. Channels of distribution. Marketing cost and efficiency. Sales forecasting and planning. Sales promotion; advertising and salesmanship. State regulated marketing.

Marketing in India. Marketing of agricultural produce and manufactured products. Organised markets in India—Stock exchanges and produce exchanges, their functions and processes. State policy; governmental marketing organisations and state trading.

Foreign trade. Characteristics of an international market. Special problems of foreign trade as distinct from domestic trade; transport; finance and insurance; risks in respect of credit, exchange fluctuations and transfer of payments. Documents used in foreign trade. Organisation and structure of export and import houses. Techniques of import and export control.

Chief feature of India's foreign trade—Commodity composition, value, and direction Operation of export and import controls during the last ten years. Licensing procedures and criteria. Foreign trade finance. Export Risks Guarantee System. Methods of export promotion adopted in recent years. India's trade agreements. Functions of the State Trading Corporation.

15. *Business Finance and Accounts*

Financial needs of modern industry. Sources of industrial finance in India. Indian capital market. Institutional financing. Foreign capital; sources interest rates and terms of repayment.

Budgeting capital requirements of a firm. Optimal capital structure. Sources and use of funds in a firm. Self-financing. Depreciation policy. Reserves and dividends. Taxation and financial policy.

Capital budgeting. Preparation, analysis and interpretation of financial statements. Valuation of goodwill and shares. Preparation of schemes of reconstruction, amalgamation and absorption; recording the effect in books of account.

Preparation of costing statements; treatment and control of overheads. Principles of budgetary control. Standard costing. Reconciliation of financial and cost accounts.

16. *Business Management and Commercial Law*

The management process and managerial functions. Formulation of policy and goals of enterprise. Leadership and morale; control and decision-making. Authority relationships, delegation of authority, levels of authority and responsibility, span of control. The role of the supervisor. Problems of communication and motivation.

Production and inventory control. Quality control. Time and motion study. Plant layout and work measurement.

Managerial problems in marketing operations. Selection and control of channels of distribution; product line, pricing and sales promotion policy. Demand analysis and advertising.

Personnel management. Problems of selection, placement, promotion transfer and retirement. Job-evaluation and merit rating. Union-management relations.

Legal framework of business activities in India.

Law relating to contracts and companies.

17. *Advance Probability and Stochastic Processes*

Probability as measure; random variables; decomposition of distribution functions: expectation of a random variable; the conditional probability and conditional expectations; convergence of sequences and sums of independent random variables; Kolmogorov's inequality; strong and weak laws of large numbers; Convergence in distribution; Theorems of convergence and continuity; Characteristic functions; Uniqueness theorem; inversion formula; central limit theorems; Problem of moments.

Stochastic processes and their classification; Spectral and correlation functions; Random sequences; Markov chains; Markoff process; stationary process; Simple time-dependent stochastic processes regarding population growth such as the Poison process; the pure birth process; the birth and death process.

18. *Statistical Inference*

NOTE: Candidates will be required to answer questions from Sections 'A' and 'B' or Sections 'A' & 'C'.

A (i) *Estimation*

Different methods of estimation: method of maximum likelihood, method of minimum-chi-square, method of moments, method of least squares; asymptotic properties of maximum likelihood estimators. Cramer-Rao inequality and its generalization to the multiparamatric case. Bhattacharya bounds. *Sufficient Statistics*: Factorization theorem, Pitman-Koopmam-Darmois form of distributions, minimal set of sufficient statistics. Rao-Blackwell theorem. Complete family of probability distributions *complete statistics*. Lehmann-Scheffe' theorem on minimum variance estimation.

(ii) *Testing of hypotheses*

Neyman-Pearson theory of testing of hypotheses. Randomized and non-randomized tests.

Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma. Unbiasedness, consistency and efficiency of tests. Similar regions, tests with locally optimum properties. Type A A1, B, C, and D critical regions. Relationship between the notions of completeness and similarity. Likelihood-ratio principle of test construction and some of its applications. Bartletts test for homogeneity of variances.

(iii) *Non-parametric tests*

Order statistics: Small sample and large sample distribution theory, distribution-free confidence intervals for quantiles. Distribution-free tests for

(i) goodness of fit: chi-square test, Kolmogorov-Simrnov test.

(ii) Comparison of two populations: Run test, Dixon's test, Wilcoxon's test, Median test, Sign test, Fisher-Pitman test.

(iii) independence: contingency, chi-square, Spearman's and Kendall's rank correlation coefficients.

Large sample properties of non-parametric tests. U-statistics and their limiting distributions.

B. *Decision Functions*

Statistical game and principles of choice associated with it. Formulation of statistical problems as a statistical game, decision functions, randomized and non-randomised decision rules. Minimax, Bayes and minimum regret decision rules. Admissible and minimax tests. Admissible and mimimax estimates under square error loss function. Minimal complete class of tests.

Principle of sufficiency and principle of invariance. Hunt-Stein theorem. Minimax invariant decision rules.

C. *Multivariate Analysis*

Multivariate Normal Distribution: Estimation of mean vector and covariance matrix; Distribution of Sample mean

vector and inference relating to mean vector with unknown matrix; Hotelling's Tests based on T^2; Power functions of T^2 and F; Optimum properties of T^2. Partial and multiple regression coefficients in normal correlation; Behren's—Fisher problem; Wishart distribution; Reproductive property of Wishart; Generalised analysis of variance; Mahalanobis's D^2 Discriminant functions, Principal component analysis; Canonical variates and canonical correlation; equality of several covariance matrices.

19. *Design of Experiments*

Principles of experimentation: randomisation, replication and error control. Techniques for error control; choice of size, shape and structure of experimental units, grouping of experimental units.

Basic assumptions of analysis of variance. Effects of non-addivity variance, heterogeneity and non-normality. Transformation. Pure and mixed models. Use of concomitant variables. Covariance analysis.

Construction and analysis of incomplete block designs, (with and without recovery of inter block information), latice designs, partially balanced incomplete block designs, Hyper-Graeco-Latin Squares and other designs for elimination of heterogeneity in several directions.

Construction of factorial designs and their analysis: confounding in symmetrical factorial experiments: total and partial; balanced confounding. Confounding of main effects: split plot, strip-plot and other designs. Fractional replication. Experiments with qualitative and quantitative factors.

Techniques for analysis for experiments with missing or mixed up yields. Analysis of non-orthogonal data. Combination of results of groups of experiments. Response curves and standardisation of response.

20. *Pure Mathematics I*

Functions of a real variable: Construction of system of real numbers from rational numbers by Dedekinds method. Bounds and limits of sequences and functions. Convergence point-wise and uniform, of sequences, infinite series and infinite products.

Metric spaces: open and closed sets, continuous functions and homomorphism; convergence and completeness, theorem on nested closed sets in complete metric spaces. Compactness for metric spaces and euclidean spaces. Uniform continuity and Arzela's theorem. Connected sets in metric spaces.

Differentiability of functions of one and several real variables. Mean value theorems Taylor expansion of functions of one and more variables. Extreme values of functions including method of Lagrange multipliers. Implicit and inverse function theorems. Functional dependence and Jacobian.

Riemann integration, mean value theorems of integral calculus. Improper integrals. Convergence of integral Differentiation and integration under the integral sign. Line and surface integrals. Multiple integrals. Green's and Stockes theorems.

Measure Theory: Lebesgue measure, measurable sets and their properties. Measurable functions. Lebesgue integral of bounded functions over sets of finite measure The integral of a non-negative function. The general Lebesgue integral. Convergence in measure. Fatou's lemma Monotone, dominated and bounded convergence theorems. Vitali covering theorem. Functions of bounded variation. Absolutely continuous functions. Fundamental theorem of integral calculus. Stieltjes-integral.

Functions of a Complex Variable: Analytic functions. Cauchy-Riemann equations Integration of complex functions. Cauchy's fundamental theorem and integral formulae. Morera's theorem. Taylor and Laurent expansions. Zeros and poles. Singularities. The Residue Theorem and its applications Argument principle. Rouches theorem. Maximum modulus principle and Schwarz lemma.

Bilinear transformations. Conformal representation.

Doubly periodic functions Weierstrass's functions. Jacobi's Sn Cn and Dn functions. Elliptic integrals.

21 *Pure Mathematics II*

Modern Algebra including Matrices and Determinants: Semi groups and groups: Isomorphism. Transformation group, Cayley's theorem. Cyclic groups. Permutations; even and odd permutations. Coset decomposition of groups, Lagrange's theorem. Invariant subgroups and factor groups Homomorphism and automorphism. Conjugate elements. Normal series, composition series and Jordan—Holder theorem.

Rings: Integral domain. Division rings. Fields. Matrix rings. Quaternions. Sub rings. Ideals: maximal, prime and principal ideals. Unique factorization domains. Difference rings. Ideals and difference rings of integers. Format's theorem Homomorphism of rings.

Field extensions-algebriac and trancendental field extensions. Elements of Galois theory and its applications to solution of equations by radicals.

Vector spaces over a field. Subspaces and their algebra-Linear independence, basis, dimension. Factor spaces. Isomorphism of vector spaces.

System of linear equations. Rank of a matrix. Equivalence relations on matrices, elementary matrices, row equivalences, equivalence, similarity.

Linear transformations on vector spaces, their rank and nullity Dual spaces and dual basis. Linear, bilinear and quadratic forms. Rank and signature. Reduction of a quadratic form to canonical form and simultaneous reduction of two quadratic forms.

Determinant functions, its existence and uniqueness Laplace's method of expanding a determinant. Product of two determinants. Binet-Cauchy formula. Characteristics and minimal polynomials, eigen value and eigen vectors. Cayley-Hamilton theorem. Diagonalization theorems.

n-dimensional geometry.—Elements of the geometry of n-dimension. Desargues' theorem. Degrees of freedom of linear spaces. Duality. Parallel lines; Elliptic, hyperbolic, euclidean and projective geomtries. Line normal to (n-1) Flat. System of n-mutually orthogonal lines. Distances and angles between flat spaces.

Convex sets and convex cones. Convex hull. Theorems on separating hyperplanes. Theorem that a closed convex set which is bounded from below has extreme points in every supporting hyperplane. Convex hull of extreme points. Convex polyhedral cones. Linear transformations of regions.

Differential geometry.—Curves in space. Envelopes. Developable surfaces. Developables associated with a curve. Curvilinear coordinates on a surface. First and second fundamental forms. Curvature of normal section. Lines of curvature. Conjugate systems. Asymptotic lines. The equations of Gauss and of Codazzi. Geodesics and Geodesic parallels. Ruled surfaces.

22. *Pure Mathematics III*

Numerical Analysis and Difference Equations.—Finite differences. Interpolation. Extrapolation. Inverse interpolation. Numerical differentiation and numerical integration. Solution of difference equations of the first order. General properties of the linear difference equation. Linear difference equations with constant coefficients.

Solution of ordinary differential equations. Methods of starting the solution and continuing the solution. Simultaneous linear equations and their solution. Roots of polynomial equations. Solution of simple problems by relaxation method. Nomograms.

Differential Equations.—Existence theorem for the solution of $dy/dx=f(x,y)$.

First order linear and non-linear equations. Linear equations with constant coefficients. Homogeneous linear equations. Second order linear equations. Frobenius method of integration in series. Solutions of Legendre. Bessel and Hermite equations Elementary properties of Legendre and Hermite polynomials and Bessel functions. Systems of simultaneous linear equations. Total differential equations with three variables.

Partial differential equations: partial differential equations of first and second order Lagrange's, Charpit's and Monge's method. Linear partial differential equations with constant

goefficients. Solutions of Laplace's wave and diffusion equations by separation of variables.

Calculus of Variations: Necessary condition for a minimum. Derivation of the Euler-equations. Hamilton's principle. Hamiltonian. Isoperimetric problems. Variable and point problems. Minima of functions of integrals. Bolza's problems. Multiple integral problem. Direct method in calculus of variations. Second variation and Legendre's necessary condition for a minimum.

Harmonic Analysis: The representation of a function by Fourier series. Dirichlet integral. Riemann Labesgue Theorem. Riemann's localization theorem. Sufficient conditions for the convergence of Fourier series (Jordan, Dini & Dela vallee Pooussin). Fourier integrals. Sampling theorem. Power spectrum. Auto-correlation and cross-correlation.

23. *Applied Mathematics*

Statics: Vector treatment of equilibrium of a rigid body under forces not necessarily coplanar. Central axis. Principles of virtual work Stability. Strings under central forces, equilibrium of strings on rough and smooth plane curves. Elastic strings. Attractions and potentials of a rod, disc and sphere.

Dynamics: Newton's laws of motion. D'Alembert's principle. Rectilinear motion. Motion in two dimensions. Motion in a resisting medium. Planetary motion. Impulsive forces and impacts. Principle of momentum and energy. Degrees of freedom and constraints. Generalised coordinates. Lagrange's equations for holonomic system. Euler's dynamical and geometrical equations. Hamilton's principle. Hamilton's equations. Introduction to many body problem.

Hydrodynamics: Eulerian and Lagrangian equations of motion. Stream lines. Vorticity and circulation and their constancy in ideal fluid.

Bernoulli's theorem and its application. Potential flow around cylinders and spheres. Blasius theorem and its application. Techniques of images and conformal transformation for solution of hydrodynamical problems. Simple properties of vortex motion, uniqueness theorem. Viscous fluid. Napier-Stokes equations. Flow between parallel walls and straight pipes. Oseen and Stokes approximations. Slow motion past a sphere.

Electricity and magnetism. Coulomb Law. Charges, Conductors and condensers. Dielectrics. Steady currents. Magnetic effects of currents. Induced currents and fields. Maxwell equations. Electromagnetic conditions at an interface between two media. Electromagnetic potentials, stresses and energy. Poynting's theorem. Joule heat. Alternating currents. Electromagnetic waves in an isotropic dielectric. Reflection and refraction of electromagnetic waves. Waves in conducting media.

Thermodynamics: Concepts of quantity of heat, temperature and entropy. First and second laws of thermodynamics. Specific heats. Change of phase. Vapour pressure. Conduction of heat. Radiation. Planck's Law. Stefan's law. Thermodynamic functions and potentials. Heterogeneous systems and Gibb's phase rule.

Statistical Mechanics: Geometry and kinematics of the phase space, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics.

PART B

Viva Voce.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service or Services for which he has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialized knowledge and abilities of the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study but also in events which are happening around him both within and without his own state or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity, critical Powers, of assimilation, balance of judgment and alertness of mind: the ability for social cohesion; integrity of character, initiative and capacity for leadership

APPENDIX III

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination:

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows:

Grade I—Director Rs. 1300—60—1600—100—1800.

Grade II—Joint Director Rs. 1100—50—1400.

Grade III—Deputy Director Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade IV—Assistant Director Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

6. Promotions to the higher grades of the Service will be made on the basis of merit with due regard to seniority in accordance with the quota of vacancies set aside for promotion for each grade *viz.*, 75% for Grade III, 50% for Grade II and 75% for Grade I.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/ Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension for officers of the two Services are the same as those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations of Government of India respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intendd to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirement prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to

reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other side of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements fractions of less than a centimetre should not be noted.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half of a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eyesight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

	Distant vision		Near vision	
	Better eye (Correct vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
	6/9	6/9 or 6/12	J.I	J.II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time consuming and require specialized set up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye* : The Medical Board may recommend one eyed persons for appointment to Class I and Class II posts if it is satisfied that he can perform all the functions for the particular job for which he is a candidate provided that the visual acuity in the functioning eye is 6/6 for distant vision and 0.6 for near vision and the refractive error is not more than plus or minus 4.00 D and the fundi of the functioning eye should reveal no abnormality. This relaxation in visual standards will be applicable to only one-eyed persons in view of their disability and not to persons with binocular vision.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following terms of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This Silent Gap' may cause error in reading).

The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidat's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he has no progressive disease in the ear.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (will filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Screening of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination, where it is considered necessary, a skiagram should be taken.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interefere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical Examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi *only* and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Ministry of Home Affairs on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members, (i) a physician (ii) a Surgeon and (iii) an Opthalmologist, all of whom should as far as practicable, be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum.* On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) ... .

2. State your age and birth place .....

2.(a) Dou you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese,

Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No', and if the answer is 'Yes', state the name of the race. ... .

3. (*a*) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ? .....

Or

(*b*) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment? .....

4. When were you last vaccinated? .....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause? ....

6. Furnish the following particulars concerning your family:—

Fathers'age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of Sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before? .....

8. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for? .....

9. Who was the examining authority? .....

10. When and where was the Medical Board held? .....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known. .....

I declare that all the above answers are to the best of my belief true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in my presence.

.....

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate)

Physical Examination

1. General development : Good.....Fair.....
Poor... .....
Nutrition: Thin..... Average..... Obese.....
Height (Without shoes)..... Weight .....
Best Weight .....When? .....any recent change in weight? .....Temperature ... .
Girth of Chest :
(1) (After full inspiration) ....
(2) (After full expiration) .. ..

2. Skin : Any obvious disease .. ..

3. Eyes :
(1) Any disease .....
(2) Night blindness .....
(3) Defect in colour vision ....
(4) Field of vision .....
(5) Visual acuity ....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph. Cyl. axis
Distant vision ..	R.E.		
	L.E.		
Near Vision ..	R.E.		
	L.E.		

4. Ears : Inspection....Hearing : Right Ear.....
Left Ear... .....

5. Glands ....Thyroid.....

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs? .....
If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(*a*) Heart : Any organic lesions ?.... .....Rate
Standing .....
After hopping 25 times.....
2 minutes after hopping.....

(*b*) Blood Pressure : Systolic .....Diastolic.....

9. Abdomen : Girth ..... Tenderness .... Hernia .....

(*a*) Palpable : Liver ..... Spleen ..... Kidneys ..... Tumours .....

(*b*) Haemorrhoids .... Fistula .....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities . .. .

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele etc.

Urine Analysis :

(*a*) Physical appearance ....

(*b*) Sp. Gr. ....

(*c*) Albumen .....

(*d*) Sugar .....

(*e*) Casts .....

(*f*) Cells . ...

13. Report of Screening/X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

15. (i) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service & Indian Statistical Service ?

(*ii*) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(*i*) Fit .. ..

(*ii*) Unfit on account of.....

(*iii*) Temporarily unfit on acount of.....

Place .....

Date .....

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 4th July 1970

No. 8/72/69-*CS-II.*—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Union Public Service Commission in 1970 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3 The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service, who on the 1st July 1970 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) Length of service.—He should have rendered not less than 5 years' approved and continuous service in :—

(a) the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or

(b) any other grade under the Central or a State Government the minimum and the maximum of the scale of pay of which were not less than Rs. 55/- and Rs. 130/- respectively, prior to 1-7-1959, and are not less than Rs. 110/- and Rs. 180/- respectively, on or after 1-7-1959.

NOTE I :—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service and partly elsewhere, as mentioned in (a) and (b) above respectively.

NOTE II.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

(2) *Age.*—(a) He should not be more than 40 years of age *i.e.*, he must not have been born earlier than 1st July, 1930.

NOTE :—The age limit of 40 years will apply to the examination to be held in 1970 only. Thereafter the age limit will be 30 years.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who has reverted therefrom, to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) Typewriting test.—Unless exempted from passing the typewriting test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

(4) No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than 3 times at the examination, this restriction being effective from the examination held in 1969.

NOTE 1.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 2.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a lower division clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is, or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for inclusion therein up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respect for selection.

13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the lower division grade, will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

P. L. GUPTA,
Deputy Secretary

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I. Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II. Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed, will be as follows :—

Subjects	Maximum Marks	Time allowed
(i) Essay & Precis-Writing		
(a) Essay	50 } 100	2 hours
(b) Precis-Writing	50 }	
(ii) Noting & Drafting and Office Procedure	100	2 hours
(iii) General Knowledge	100	2 hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Part (a) of paper (i) or paper (iii) or both, either in Hindi (Devanagari) or in English. Part (b) of paper (i) and paper (ii) must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper [part (a) in case of paper (i)] and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so *clearly* in column 7 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

(1) *Essay and Precis Writing*

(a) Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing.—Passages will usually be set for summary or precis.

(2) *Noting & Drafting and Office Procedure* : The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

(3) *General Knowledge* : The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates' knowledge of Indian Geography as well as the country's administration and current national and international events.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 8th June 1970

RESOLUTION

No. 1/52/67-M&F.—In the Resolution of even number dated the 6th April, 1970, in the Composition of the Mica Advisory Committee, for the existing entry, -

12. Shri R. N. Mukherjee .. Secretary

the following may be substituted :—

12. Shri K. L. Mathur, Under Secretary Ministry of Foreign Trade New Delhi .. Member-Secretary

ORDER

ORDERED that this may be published in the Gazette of India for general information.

P. K. SAMAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 19th June 1970

RESOLUTION

No. 1/78/69-PPD.—In partial modification of para 2.3(c) of the Resolution of even number dated the 11th May, 1970 containing the decisions of Government on the Report of the Oil Prices Committee, it has been decided by Government that with effect from 1-7-1970, a surcharge will be levied on Bitumen Grades also @ Rs. 10 per M.T. and the under-recoveries on freight on Bitumen Grades will also be reimbursible with effect from 1-7-1970 from the freight surcharge pool.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADHAV RAJWADE, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 18th June 1970

No. 47(2)/69-LEI(B).—In partial modification of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development's) Resolution No. 47(2)/69-LEI(B), dated the 17th April, 1969, regarding the reconstitution of the Panel for Air-Conditioning and Refrigeration Industry, as amended *vide* Resolution No. 47(2)/69-LEI(B) dated the 23rd June, 1969, No. 47(2)/69-LEI(B) dated 20th September, 1969, No. 47(2)/69-LEI(B) dated the 20th November, 1969, and No. 47(2)/69-LEI(B) dated the 18th March, 1970, the following further changes in the Panel are being made with immediate effect :—

"The name at serial No. 5 of the Resolution is to be read as "Shri B. Majumdar, Deputy Director (Electrical), DC(SSI), New Delhi" in place of "Shri J. B. Jaketia, Deputy Director, DC(SSI), New Delhi."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

C. BALASUBRAMANIAM, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970